भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET OF STATE BANK OF INDIA AS ON 31ST MARCH 2009

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
				रु. Rs.	रु. Rs.
पूंजी Capital	...	...	1	634,88,02	631,47,04
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	...	...	2	57312,81,62	48401,19,11
जमाराशियाँ Deposits	...	...	3	742073,12,80	537403,94,09
उधार Borrowings	...	...	4	53713,68,21	51727,41,13
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other liabilities & provisions	...	...	5	110697,57,42	83362,29,84
			योग TOTAL	964432,08,07	721526,31,21

आस्तियाँ ASSETS			अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
				रु. Rs.	रु. Rs.
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Cash & balances with Reserve Bank of India	...	...	6	55546,17,27	51534,61,58
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with banks & money at call & short notice		...	7	48857,62,59	15931,71,92
विनिधान Investments	...	...	8	275953,95,69	189501,27,09
अग्रिम Advances	...	...	9	542503,20,42	416768,19,62
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	...	...	10	3837,84,72	3373,48,09
अन्य आस्तियाँ Other Assets	...	...	11	37733,27,38	44417,02,91
			योग TOTAL	964432,08,07	721526,31,21
समाश्रित देयताएँ / Contingent liabilities	...	...	12	रु. Rs. 723699,75,70	रु. Rs. 810796,48,07
संग्रहण के लिए बिल / Bills for collection	...	...	—	रु. Rs. 43870,56,67	रु. Rs. 18946,79,95
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	...	...	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes to Accounts	...	...	18		

अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
प्राधिकृत पूंजी - 10/- रुपए प्रति शेयर वाले 100,00,00,000 शेयर Authorised Capital - 100,00,00,000 shares of Rs.10/- each	1000,00,00	1000,00,00
निर्गमित - 63,49,68,500 (पिछले वर्ष 63,15,58,654) प्रत्येक ईक्विटी शेयर रु. 10/- का Issued Capital 63,49,68,500 (Previous Year 63,15,58,654) Equity Shares of Rs.10/- each	634,96,85	631,55,87
अभिदत और संदत पूंजी - 63,48,80,222 शेयर (पिछले वर्ष 63,14,70,376) प्रत्येक शेयर रु. 10/- का [इसमें 2,71,28,722 (31.3.08 को 4,24,81,772) शेयर सम्मिलित हैं जो 1,35,64,361 (31.03.08 को 2,12,40,886) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं]. Subscribed and Paid up Capital 63,48,80,222 (previous year 63,14,70,376) shares of Rs.10/-each [includes 2,71,28,722 (4,24,81,772 as on 31.3.08) shares represented by 1,35,64,361 (2,12,40,886 as on 31.03.08) Global Depository Receipts]	634,88,02	631,47,04
योग **TOTAL**	**634,88,02**	**631,47,04**

अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)		31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)	
		रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I.	कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves				
	अथशेष Opening Balance	25218,10,91		20379,03,68	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	5508,57,95		4839,07,23	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—		—	
			30726,68,86		25218,10,91
II.	पूंजी आरक्षितियाँ Capital Reserves				
	अथशेष Opening Balance	422,58,37		418,14,39	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	844,72,32		4,43,98	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—		—	
			1267,30,69		422,58,37
III.	शेयर प्रीमियम Share Premium				
	अथशेष Opening Balance	20098,96,75		3510,57,33	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	560,16,95		16617,09,67	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	1,21,18		28,70,25	
			20657,92,52		20098,96,75
IV.	निवेश आरक्षितियाँ Investment Reserve				
	अथशेष Opening Balance	62,17,87		—	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		62,17,87	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	62,17,87		—	
V.	राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ* Revenue and Other Reserves*		—		62,17,87
	अथशेष Opening Balance	2419,83,14		6195,56,07	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	674,47,13		300,00,00	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	8,58,94		4075,72,93	
			3085,71,33		2419,83,14
VI.	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति Foreign currency Translation Reserve				
	Opening Balance	179,18,14		268,60,35	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1395,66,15		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	—		89,42,21	
			1574,84,29		179,18,14
VII.	लाभ और हानि खाते का अतिशेष Balance of Profit and Loss Account		33,93		33,93
	* इसमें (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखे गए) एकीकरण और विकास निधि के रु. 5,00,00,000 (पिछले वर्ष 5,00,00,000) शामिल हैं। * Includes Rs. 5,00,00,000 (previous year Rs. 5,00,00,000) of Integration and Development Fund (maintained under Section 36 of the State Bank of India Act, 1955)				
	योग TOTAL		57312,81,62		48401,19,11

अनुसूची 3 — जमाराशियाँ
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

				31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
				रु. Rs.	रु. Rs.
क. A.	I.	**माँग जमाराशियाँ Demand Deposits**			
		(i)	बैंकों से From banks	10761,84,16	12313,40,67
		(ii)	अन्य से From others	99991,73,42	85820,12,34
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits**		198224,26,85	154229,28,65
	III.	**सावधि जमाराशियाँ Term Deposits**			
		(i)	बैंकों से From banks	13657,16,00	7065,47,74
		(ii)	अन्य से From others	419438,12,37	277975,64,69
			योग TOTAL	742073,12,80	537403,94,09
ख. B.		(i)	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	710031,51,22	514676,06,76
		(ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches outside India	32041,61,58	22727,87,33
			योग TOTAL	742073,12,80	537403,94,09

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

			31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
			रु. Rs.	रु. Rs.
I.	**भारत में उधार Borrowings in India**			
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	—	1300,00,00
	(ii)	अन्य बैंक Other banks	919,94,60	7853,58,39
	(iii)	अन्य संस्थाएँ और अभिकरण Other institutions and agencies	2758,35,89	3648,95,57
II.	**भारत के बाहर से उधार Borrowings outside India**		50035,37,72	38924,87,17
		योग TOTAL	53713,68,21	51727,41,13
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above			रु. Rs. 2871,60,35	रु. Rs. 4367,87,76

अनुसूची 5 — अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
I.	संदेय बिल Bills payable	18929,87,60	19159,90,43
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	5706,71,55	—
III.	प्रोद्भूत - ब्याज Interest accrued	6918,15,56	5092,21,85
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल) Deferred Tax Liabilities (net)	—	—
V.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions) ... ... [रु. 27174.40 करोड़ के गौण ऋण (31.03.2008 को रु. 18781.84 करोड़) और रु. 3170.00 करोड़ के बेमीयादी बाण्ड (31.03.2008 को रु. 2507 करोड़)] [Includes sub-ordinated debts of Rs.27174.40 Crs. (Rs.18781.84 Crs. as on 31.03.2008) and perpetual bonds of Rs.3170.00 Crs. (Rs.2507 Crs. as on 31.03.2008)]	79142,82,71	59110,17,56
	योग TOTAL	110697,57,42	83362,29,84

अनुसूची 6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ
SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
I.	हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	4295,51,58	3220,31,11
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balance with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खाते में In Current Account	51248,14,36	20900,60,36
	(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	2,51,33	27413,70,11
	योग TOTAL	55546,17,27	51534,61,58

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में In India		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ Balances with banks		
(क) चालू खातों में (a) In Current Accounts	926,20,81	1105,19,38
(ख) अन्य जमा खातों में (b) In Other Deposit Accounts	10688,99,53	2608,31,90
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice		
(क) बैंकों में (a) With banks	13207,17,33	6759,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में (b) With other institutions	—	—
योग TOTAL	24822,37,67	10472,51,28
II. भारत के बाहर Outside India		
(i) चालू खातों में In Current Accounts	13656,54,41	1252,31,93
(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1326,93,90	749,15,34
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Money at call and short notice	9051,76,61	3457,73,37
योग TOTAL	24035,24,92	5459,20,64
कुल योग GRAND TOTAL	48857,62,59	15931,71,92

अनुसूची 8 — विनिधान
SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में विनिधान Investments in India in:		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	226217,47,04	140734,03,68
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	1892,68,08	2738,25,17
(iii) शेयर Shares	4590,41,76	4502,53,72
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	14888,97,79	17628,77,57
(v) अनुषंगियाँ और/अथवा सह-उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures	3617,01,17	3766,46,03
(vi) अन्य (यूनिटें / वाणिज्यिक पत्र आदि) Others (Units / Commercial Papers etc.)	18264,51,76	14960,04,07
योग TOTAL	269471,07,60	184330,10,24
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government securities (including local authorities)	742,59,28	394,23,41
(ii) विदेशों में समनुषंगी और/अथवा सह-उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures abroad	1255,45,95	613,80,25
(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि) Other investments (Shares, Debentures etc.)	4484,82,86	4163,13,19
योग TOTAL	6482,88,09	5171,16,85
कुल योग GRAND TOTAL (I & II)	275953,95,69	189501,27,09
III. भारत मे विनिधान Investments in India		
(i) विनिधानों का सकल मान Gross Value of Investments	270886,39,44	185278,42,52
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less : Aggregate of Provisions/Depreciation	1415,31,84	948,32,28
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above) ... ... योग TOTAL	269471,07,60	184330,10,24
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India		
(i) विनिधानों का सकल मान Gross Value of Investments	6795,19,57	5204,26,52
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less : Aggregate of Provisions/Depreciation	312,31,48	33,09,67
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above) ... ... योग TOTAL	6482,88,09	5171,16,85
कुल योग GRAND TOTAL (III & IV)	275953,95,69	189501,27,09

अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
क. A. (i) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र Bills purchased and discounted	47183,96,60	36733,49,02
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand ...	223679,92,68	151999,99,96
(iii) सावधि उधार Term loans	271639,31,14	228034,70,64
योग TOTAL	542503,20,42	416768,19,62
ख. B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित हैं) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	350026,92,43	284231,06,15
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	78601,23,99	20244,75,74
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	113875,04,00	112292,37,73
योग TOTAL	542503,20,42	416768,19,62
ग. C. (I) भारत में अग्रिम Advances in India		
(i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Priority Sector	143637,56,31	119230,51,18
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	36241,55,02	23025,00,32
(iii) बैंक Banks	334,21,74	77,66,24
(iv) अन्य Others	276502,90,85	218295,16,99
योग TOTAL	456716,23,92	360628,34,73
(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	4411,79,75	2135,16,19
(ii) अन्यों से शोध्य Due from others		
(क) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र (a) Bills purchased and discounted	29308,58,76	15543,40,45
(ख) अभिषद उधार (b) Syndicated loans	27094,47,16	19856,62,20
(ग) अन्य (c) Others	24972,10,83	18604,66,05
योग TOTAL (C-I & C-II)	85786,96,50	56139,84,89
कुल योग GRAND TOTAL	542503,20,42	416768,19,62

अनुसूची 10 — अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)		31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)	
			रु. Rs.		रु. Rs.
I.	क. परिसर A. **Premises**				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1488,44,58		1448,62,77	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	104,07,47		40,20,10	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	1,48,03		38,29	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	637,90,51	953,13,51	557,30,25	931,14,33
	ख. निर्माणाधीन परिसर (इनमें अन्य अचल आस्तियां सम्मिलित हैं) B. Premises including other Fixed Assets under Construction		263,43,74		234,25,82
II.	अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	6561,73,29		5493,19,27	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1345,72,26		1145,34,90	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	20,92,03		76,80,88	
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	5271,32,20	2615,21,32	4397,99,28	2163,74,01
III.	पट्टाकृत आस्तियाँ Leased Assets				
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	938,16,91		1120,10,41	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments	—		—	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	12,68,65		181,93,50	
	अद्यतन मूल्यह्रास प्रावधानों सहित Depreciation to date including provision	921,77,85		888,54,10	
		3,70,41		49,62,81	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन और प्रावधान Less : Lease Adjustment and Provisions ...	(2,35,74)	6,06,15	5,28,88	44,33,93
	योग TOTAL (I, II & III)		3837,84,72		3373,48,09

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—	11340,53,28
(ii) प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	6729,50,51	6298,14,48
(iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	3642,81,18	2477,86,74
(iv) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	1026,88,68	42,04,56
(v) लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and stamps	95,65,85	95,60,12
(vi) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	35,18	34,91
(vii) अन्य Others	26238,05,98	24162,48,82
योग TOTAL	37733,27,38	44417,02,91

अनुसूची 12 — समाश्रित देयताएँ
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	2191,81,62	799,73,02
II. अंशत: संदत्त विनिधानों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2,80,00	2,80,00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	289429,24,01	310457,51,74
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में (a) In India	46544,40,41	35159,13,45
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	26417,29,03	14503,88,10
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	109093,49,09	74706,09,41
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	250020,71,54	375167,32,35
योग TOTAL	723699,75,70	810796,48,07

भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF STATE BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2009

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2009 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2008 (Previous year)
		रु. Rs.	रु. Rs.
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	63788,43,38	48950,30,71
अन्य आय Other Income	14	12690,78,90	8694,92,84
	योग TOTAL	76479,22,28	57645,23,55
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	42915,29,37	31929,07,69
परिचालन व्यय Operating expenses	16	15648,70,44	12608,60,60
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		8793,99,82	6378,42,79
	योग TOTAL	67357,99,63	50916,11,08
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		9121,22,65	6729,12,47
अग्रानीत लाभ Profit brought forward		33,93	33,93
सामान्य आरक्षितियों से अंतरण Transfer from General Reserve		—	9,37
	योग TOTAL	9121,56,58	6729,55,77
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to statutory reserves		5291,79,28	4839,07,23
विनिधान आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Investment reserves		—	62,17,87
पूंजी आरक्षिति में अंतरण Transfer to Capital Reserve		826,55,32	4,43,98
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Revenue reserve and other reserve		306,89,30	300,00,00
लाभांश Dividend		1841,15,26	1357,66,13
लाभांश पर कर Tax on dividend		248,03,47	165,86,63
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से हानि Loss from State Bank Of Saurashtra		606,80,02	—
शेष राशि जो आगे तुलन-पत्र में ले जाई गई है Balance carried over to Balance Sheet		33,93	33,93
	योग TOTAL	9121,56,58	6729,55,77
प्रति शेयर मूल करने योग्य आय Basic Earnings per Share		रु. Rs. 143.77	रु. Rs. 126.62
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय Diluted Earnings per Share		रु. Rs. 143.77	रु. Rs. 126.50
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes to Accounts	18		

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	46404,71,49	35228,11,19
II. विनिधानों पर आय Income on investments	15574,11,51	11944,16,36
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1474,37,74	1200,07,40
IV. अन्य Others	335,22,64	577,95,76
योग TOTAL	63788,43,38	48950,30,71

अनुसूची 14 — अन्य आय
SCHEDULE 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	7617,23,54	5914,25,45
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ (हानि) (निवल) Profit on sale of investments (Net)	2567,29,02	1649,83,91
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (हानि) Profit on revaluation of investments (Net)	(56,50)	(703,50,07)
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	(2,95,42)	11,04,09
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ Profit on exchange transactions (Net)	1179,24,92	692,69,81
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	409,60,28	197,40,55
VII. वित्तीय - पट्टा आय Income from financial lease	26,67,00	31,86,36
VIII. प्रकीर्ण आय Miscellaneous Income	894,26,06	901,32,74
योग TOTAL	12690,78,90	8694,92,84

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs	रु. Rs.
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	37936,84,73	27072,58,10
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2555,01,04	2938,43,98
III. अन्य Others	2423,43,60	1918,05,61
योग TOTAL	42915,29,37	31929,07,69

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2009 (Current year)	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2008 (Previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	9747,31,23	7785,86,94
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	1295,13,73	993,41,81
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	232,82,08	188,87,76
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	251,22,95	173,23,16
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (a) Depreciation on bank's property (Other than Leased Assets) ...	739,12,43	651,04,24
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	24,01,69	28,93,67
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	99,81	1,23,20
VII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	103,69,68	97,34,58
VIII. विधि प्रभार Law charges	74,61,19	60,45,14
IX. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones etc.	279,73,25	216,57,72
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	160,58,83	235,82,73
XI. बीमा Insurance	529,01,89	415,84,36
XII. अन्य व्यय Other expenditure	2210,41,68	1759,95,29
योग TOTAL	15648,70,44	12608,60,60

अनुसूची 17
प्रमुख लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरण अवधिगत लागत आधार पर, डेरीवेटिव्स और विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए यथा आशोधित, जैसा कि नीचे भाग 'ग' में वर्णित है, तैयार किए गए हैं. वे भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं एवं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक प्राधिकरणों/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं.

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त हैं. भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं. लेखा प्राक्कलनों में किसी संशोधन का वर्तमान और भविष्यगत अवधि के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है.

ग. प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. आय निर्धारण

1.1 निम्नांकित को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है. बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है.

1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज के अलावा किया गया है, (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को 'ट्रेडिंग' नाम दिया गया है.

1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि को 'विनिधान की बिक्री पर लाभ/हानि' खाते में जमा/नामे किया गया है और उसके पश्चात् 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ का (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षिति अपेक्षाओं को घटाने के बाद) पूंजी आरक्षिति में विनियोग किया गया है.

1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है. 1 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है. पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है. मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है.

SCHEDULE 17
PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES:

A. Basis of Preparation

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention as modified for derivatives and foreign currency transactions, as enumerated in Part C below. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), accounting standards/guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

C. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. Revenue recognition

1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated below. In respect of banks' foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading"

1.3 Profit or Loss on sale of investments is credited / debited to Profit and Loss Account (Sale of Investments). Profit on sale of investments in the 'Held to Maturity' category shall be appropriated net of applicable taxes to 'Capital Reserve Account'. Loss on sale will be recognised in the Profit and Loss Account.

1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding on the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.

1.5 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत अभिज्ञान में लिया गया है :

क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है.

ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.

1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है, इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है.

2 विनिधान

विनिधानों को वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है. बैंक अपने विनिधानों को लेखे में लेने के लिए व्यवसाय - तिथि पद्धति अपनाता है.

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों का 3 श्रेणियों अर्थात् 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों (इसके पश्चात् इन्हें श्रेणियाँ कहा गया है) में वर्गीकरण किया गया है. इन श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विनिधानों को पुन: निम्नानुसार छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है :

i. सरकारी प्रतिभूतियाँ,

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,

iii. शेयर,

iv. डिबेंचर और बांड,

v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा

vi. अन्य

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. उन विनिधानों को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है.

ii. उन विनिधानों को 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांतत: पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है.

iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

iv. किसी विनिधान को इसके क्रय के समय 'परिपक्वता के लिए रखे गए', 'विक्रय के लिए उपलब्ध' या 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात् श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है.

v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए विनिधानों को 'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

2.3 मूल्यन :

i. किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में;

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रतिभूति लेन-देन कर को लागत में से घटा दिया गया है.

(ख) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

(ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है और इन्हें लागत / विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.

(घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत प्रणाली के अनुसार किया गया है.

1.5 Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

a) On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

2. Investments

Investments are accounted for in accordance with the extant regulatory guidelines. The bank follows trade date method for accounting of its investments.

2.1 Classification

Investments are classified into 3 categories, viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading categories (hereafter called categories). Under each of these categories, investments are further classified into the following six groups:

i. Government Securities,

ii. Other Approved Securities,

iii. Shares,

iv. Debentures and Bonds,

v. Subsidiaries/Joint ventures and

vi. Others.

2.2 Basis of classification:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.

iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

v. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified under as Held to Maturity.

2.3 Valuation:

i. In determining the acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage/commission/securities transaction tax received on subscriptions is reduced from the cost.

(b) Brokerage, commission, etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

(c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

(d) Cost is determined on the weighted average cost method.

(ङ) उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का पूर्णतया प्रावधान किया गया है.

ii. ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन अग्रानीत व्यय आधार पर किया गया है.

iii. **'परिपक्वता के लिए रखे गए' श्रेणी :** 'परिपक्वता के लिए रखे गए' प्रत्येक स्क्रिप को अभिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है और यदि उसे अंकित मूल्य पर अभिगृहीत किया गया है तो उसे परिशोधित लागत पर लेखे में लिया गया है. किसी अभिगृहीत प्रीमियम को नियत आय आधार पर प्रतिभूति की बची हुई परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है. ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को 'विनिधानों पर ब्याज' शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है. अस्थायी के अतिरिक्त ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में विनिधान को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिधान को अग्रानीत लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया गया है.

iv. **'विक्रय के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यवसाय के लिए रखे गए' श्रेणियाँ :** उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रत्येक स्क्रिप का पुनर्मूल्यन **विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित** बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है. मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है.

v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-एसएलआर) लिखतों पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है.

vi देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :

क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है.

ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को रु. 1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई है - ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.

(e) The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

ii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.

iii. **Held to Maturity category:** Each scrip under Held to Maturity category is carried at its acquisition cost or at amortised cost, if acquired at a premium over the face value. Any premium on acquisition is amortised over the remaining maturity period of the security on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments". A provision is made for diminution, other than temporary. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e book value).

iv. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Each scrip in the above two categories is revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines**, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

v. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.

vi. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices. Investments of domestic offices become non performing where:

a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPI.

c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.

घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेन्स शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है.

ङ) ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जो अग्रिम की प्रकृति के माने गए हैं, उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लगेंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं.

च) विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.

vii. रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेनदेन [भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा] को लेखे में लेने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'समान लेखा प्रक्रिया' को अपनाया है. तदनुसार, रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त विक्रय / क्रय माना गया है और उन्हें रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खातों में शामिल किया गया है तथा इन प्रविष्टियों का परिपक्वता तिथि को प्रत्यावर्तन किया गया है. लागत एवं आय को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है. रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का समायोजन विनिधान खाते की शेष राशि के सापेक्ष किया गया है.

viii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / विक्रय की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है. उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है.

3 ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है. ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन जाती हैं, जहाँ:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता 'असंगत' ('आउट ऑफ आर्डर') रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण अधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;

iv. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 2 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;

v. दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं.

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है.

d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.

e) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

f) In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

vii. The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold/ purchased under Repo/Reverse Repo are treated as outright sales/purchases and accounted for in the Repo/Reverse Repo Accounts, and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.

viii. Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3. Loans /Advances and Provisions thereon

3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become non-performing where:

i. In respect of term loan, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

ii. In respect of an Overdraft or Cash Credit advance, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;

iii. In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

iv. In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for 2 crop seasons;

v. In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

3.2 Non-Performing advances are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक वर्ग में रह गई है.

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का अभिज्ञान हो गया है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अव-मानक आस्तियाँ :	i.	10% का सामान्य प्रावधान
	ii.	ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
संदिग्ध आस्तियाँ :		
- प्रतिभूत भाग :	i.	एक वर्ष तक - 20%
	ii.	एक से तीन वर्ष तक - 30%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग	100%	
हानिप्रद आस्तियाँ :	100%	

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, जिसमें किसी घाटे (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है) के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जबकि अधिशेष को (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है) को शामिल नहीं किया गया है. निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों में से घटाने पर बकाया है.

3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है.

3.7 पुनर्संरचनागत / पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप मूल ऋण करार के अनुसार भविष्यगत बकाया ब्याज के वर्तमान मूल्य की पुनर्संरचित पैकेज के अंतर्गत सम्भावित ब्याज - आय से तुलना करने के बाद उक्त राशि की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उपरोक्त आस्तियों से उद्‌भूत उत्सर्जित ब्याज के प्रावधान को अग्रिम से घटाया गया है और इसे तुलनपत्र के ‘अन्य देयताएँ -अन्य’ शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.

3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण आय के रूप में किया गया है.

3.10 पिछले वर्ष अग्रिमों के संदर्भ में रेखांकित किए गए ऐसे गैर-वसूलीकृत ब्याज जो चालू वर्ष के दौरान अनर्जक हो गए हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है.

3.11 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति की जानकारी के लिए मानक आस्तियों पर प्रावधानों को स्थिति में शामिल नहीं किया गया है. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ‘अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य’ शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं.

ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.

iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the RBI:

Substandard Assets:	i.	A general provision of 10%
	ii.	Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
Doubtful Assets:		
– Secured portion:	i.	Upto one year – 20%
	ii.	One to three years – 30%
	iii.	More than three years – 100%
– Unsecured portion	100%	
Loss Assets :	100%	

3.4 In respect of foreign offices, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.

3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by the RBI, which requires provisions to be made for any deficit (where sale price is lower than the net book value), while surplus (where sale price is higher than the net book value) is ignored. Net book value is outstandings as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.

3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.

3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which requires that the present value of future interest due as per the original loan agreement, compared with the present value of the interest expected to be earned under the restructuring package, be provided in addition to provision for NPAs. The provision for interest sacrifice, arising out of the above, is reduced from advances.

3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing account if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.

3.10 Unrealised Interest recognised in the previous year on advances which have become non-performing during the current year, is provided for.

3.11 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per the extant guidelines prescribed by the RBI. The provisions on standard assets are not reckoned for arriving at net NPAs. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head “Other Liabilities & Provisions – Others.”

4. **अस्थायी प्रावधान**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक में अग्रिमों, विनिधानों तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रूप से अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग हेतु अनुमोदित नीति है. सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किया जाएगा. इन अस्थायी प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा.

5. **देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान**

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं. इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है. यह प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के 'अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6. **डेरीवेटिव्स :**

6.1 बैंक तुलनपत्र की/ तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार निष्पादित करता है. तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो. इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है.

6.2 सभी डेरीवेटिव लिखतों को तुलनपत्र में आस्तियों या देयताओं के रूप में शामिल किया गया है और इनकी बाजार के बही मूल्य के अनुसार गणना की गई है.

6.3 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है. बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों.

6.4 सिवा उपर्युक्त के, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं. बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं.

6.5 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है. विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है.

7. **अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास :**

7.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है.

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व वहन की गई व्यवसाय फीस शामिल हैं. उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती

4. **Floating Provisions**

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilisation of floating provisions separately for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created would be assessed at the end of each financial year. The floating provisions would be utilised only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. **Provision for Country Exposure**

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provision is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in schedule 5 of the balance sheet under the "Other liabilities & Provisions – Others"

6. **Derivatives:**

6.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

6.2 All derivative instruments are recognised as assets or liabilities in the balance sheet and measured at marked to market.

6.3 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

6.4 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change.

6.5 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option. The Balance in the premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered to arrive at Mark to Market value for forex Over the Counter options.

7. **Fixed Assets and Depreciation**

7.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

7.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is

व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते है.

7.3 इन देशी परिचालनों के संबंध में मूल्यह्रास की दरें और मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यह्रास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी कटौती पद्धति	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	ह्रासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती पद्धति	अभिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती पद्धति	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	ह्रासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

7.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास 182 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्द्धवर्ष के लिए तथा 182 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यह्रास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है.

7.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

7.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है.

7.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूंजी-वसूली) एवं मूल्यह्रास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.

7.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

8. पट्टे

आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय पट्टों में भी प्रयोग किया गया है.

9. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना

put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 The rates of depreciation and method of charging depreciation in respect of domestic operations are as under:

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	Straight Line Method	100%, in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

7.4 In respect of assets acquired for domestic operations during the year, depreciation is charged for half an year in respect of assets used for upto 182 days and for the full year in respect of assets used for more than 182 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

7.5 Items costing less than Rs. 1,000 each are charged off in the year of purchase.

7.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

7.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations /norms of the respective countries.

8. Leases

The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to financial leases also.

9. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted

करके ज्ञात की जाती है. यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रानीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है.

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

10.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है.

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल / वायदा दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है.

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर का प्रयोग करके दी गई है.

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

vi. विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है. ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है.

vii. मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरे आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है.

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की आरंभिक स्थिति में हुए परिवतनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

10.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

क. असमाकलित परिचालन:

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है.

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को तिमाही की औसत अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है.

iii. निवल विनिधान का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन

cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

10. Effect of changes in the foreign exchange rate

10.1 Foreign Currency Transactions

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot/forward rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is included in the Profit and Loss account.

vi. Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains / Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains / losses are recognised in the profit and loss account.

10.2 Foreign Operations

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

i. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

ii. Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

iii. Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency

विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है.

iv. विदेश स्थित कार्यालयों की आस्तियों और देयताओं की विदेशी मुद्रा (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) को उस देश में प्रयोज्य तत्काल दरों का प्रयोग करके स्थानीय मुद्रा में रूपांतरित किया गया है.

ख. समाकलित परिचालनः

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है.

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.

iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग करके दी गई है.

11. कर्मचारी हितलाभः

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभः

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है.

11.2 नौकरी उपरांत हितलाभः

i. नियत हितलाभ योजना

क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. न्यास-निधियों को बैंक में जमाराशि के रूप में धारित किया गया है. बैंक, वार्षिक अंशदान और बैंक द्वारा धारित जमाराशियों पर ब्याज देने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होता है. यह ब्याज - दर सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशियों पर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है. बैंक - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है.

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या रु. 3,50,000/- की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त

Translation Reserve until the disposal of the net investment.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

b. Integral Operations:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.

iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

11. Employee Benefits:

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

a. The Bank operates a Provident Fund Scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund Scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The trust funds are retained as deposits in the bank. The bank is liable for annual contributions and interest on deposits held by the bank, which is payable at Government specified minimum rate of interest on provident fund balances of Government Employees. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.

b. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

c. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs. 350,000. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions

होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर विभिन्न चरणों में किया जाता है. पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है. बैंक एसबीआइ पेंशन फंड नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का वार्षिक अंशदान करता है. निर्धारण के समय उपयोग में लाए जाने के लिए शेष राशि विशेष प्रावधान खाते में रखी गई है.

ङ. नियत हितलाभ-प्रावधान-लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रानीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है. बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

ii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है.

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें स्थगित नहीं किया गया है.

12. कर निर्धारण के लिए प्रावधान:

12.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजनों में समाविष्ट हैं.

12.2 आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमश: कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.

12.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित कर आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

d. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually. The Bank makes annual contribution to the pension fund at 10% of salary in terms of SBI Pension Fund Rules. The balance is retained in the special provision account to be utilised at the time of settlement.

e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Other Long Term Employee benefits:

a. All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

12. Provision for Taxation

12.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current year taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

12.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

13. प्रति शेयर आय

13.1 बैंक आइसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक-20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरांत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

13.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का लेखा - निर्धारण

14.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

14.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है;

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी; अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता, के अलावा प्रावधान किया गया है.

14.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती.

15. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम में नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाराशियाँ, अन्य बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि शामिल हैं.

16. कर्मचारी शेयर क्रय योजना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक क्रय योजना दिशा-निर्देश, 1999 के अनुसार जिस मूल्य पर शेयर जारी किए जाते हैं उसकी तुलना में शेयर जारी किए जाने के एक दिन पूर्व के मूल्य में अंतर को कर्मचारी प्रतिपूर्ति लागत माना गया है.

17. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया गया है.

13. Earning per Share

13.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 -'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share are computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

14. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

14.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

14.2 No provision is recognised for

i. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii. any present obligation that arises from past events but is not recognised because

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

14.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.

15. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM's, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

16. Employee Share Purchase Scheme:

In accordance with the Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines, 1999 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the excess of market price one day prior to the date of issue of the shares over the price at which they are issued is recognised as employee compensation cost.

17. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.

अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

18.1. पूंजी :

1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

बैंक द्वारा जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात (सीएआर) का निर्धारण वित्तीय विवरण और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर निम्नानुसार किया गया है :

क) बेसल -I के अनुसार :

मदें	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - कुल (%)	12.97	13.54
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी - I (%)	8.53	9.14
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी - II (%)	4.44	4.40

ख) नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल - II) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार :

मदें	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - कुल (%)	14.25
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी - I (%)	9.38
जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी-अनुपात - श्रेणी - II (%)	4.87

2. शेयर - पूंजी :

क) बैंक ने पिछले वर्ष राइट्स इश्यू के अंतर्गत जारी किए गए रु.10/- प्रति शेयर की दर से 88,278 इक्विटी शेयरों के आबंटन को रोके रखा क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन थे.

ख) वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.10/- नकदी मूल्य के 34,09,846 इक्विटी शेयर रु.1580/- प्रति शेयर प्रीमियम पर, अर्थात् रु.1590/- प्रति इक्विटी शेयर की दर से एसबीआइ कर्मचारी शेयर क्रय योजना-2008 (एसबीआइ ईएसपीएस - 2008) के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को रु.542.17 करोड़ की कुल राशि पर जारी किए. एसबीआइ ईएसपीएस-2008 के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयरों को सेबी (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना तथा कर्मचारी स्टाक क्रय योजना) दिशानिर्देश 1999 के अनुसार लेखे में लिया गया है. तदनुसार रु.21.41 करोड़ की राशि कर्मचारी खर्च के रूप में शामिल की गई और शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित की गई.

ग) 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत सरकार ने रु.10/- प्रति शेयर और रु.1580/- प्रीमियम के 6,28,68,000 इक्विटी शेयर - बैंक के राइट्स प्रस्ताव के अंतर्गत अंशस्वरूप ग्रहण किए. भारत सरकार ने कुल रु.9996.01 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए "8.35% एसबीआइ राइट्स इश्यू - भारत सरकार स्पेशल बांड 2024" को जारी किया. इन बांडों की बिक्री पर सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं.

घ) कर्मचारी शेयर क्रय योजना 2008 के अंतर्गत इक्विटी शेयरों को जारी करने पर हुए रु.1.21 करोड़ के व्यय को शेयर प्रीमियम एकाउण्ट के नामे किया है.

ङ) भारत सरकार की शेयरधारिता

शेयरों की संख्या		धारिता	
वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
37,72,07,200	37,72,07,200	59.41%	59.73%

Schedule - 18

NOTES TO ACCOUNTS

(Amount in Rupees in crores)

18.1 **Capital:**

1. Capital Adequacy Ratio:

The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CAR) as assessed by the Bank on the basis of the financial statements and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) has been computed as below:

a) As per BASEL-I:

Items	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Overall (%)	12.97	13.54
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I (%)	8.53	9.14
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II (%)	4.44	4.40

b) As per the Revised Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (BASEL-II):

Items	As at 31-Mar-2009
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Overall(%)	14.25
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I(%)	9.38
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II(%)	4.87

2. Share capital:

a) The bank has kept in abeyance the allotment of 88,278 Equity Shares of Rs.10/- each issued as part of Rights Issue last year, since they are subject matter of title disputes or are subjudice.

b) During the year, , the Bank has issued 34,09,846 equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium of Rs. 1580/- per equity share i.e. at Rs. 1590/- per equity share aggregating to Rs.542.17 crores to its employees under SBI Employees Share Purchase Scheme – 2008 (SBI ESPS – 2008). The issue of equity shares under SBI ESPS-2008 has been accounted in accordance with SEBI (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) guidelines 1999.Accordingly, an amount of Rs. 21.41 crores has been charged as Employee expenses and transfered to Share Premium Account.

c) The Government of India had, during the year ended 31.3.08, subscribed to 6,28,68,000 Equity Shares of Rs.10/- each at a premium of Rs.1580 per share as part of Rights Offer of the bank. The Government of India has discharged the total consideration of Rs.9996.01 crores by issue of “8.35% SBI Rights Issue GOI Special Bonds 2024”. Certain restrictions have been placed by the Government on the sale of these bonds.

d) Expenses in relation to the issue of Equity Shares under the Employees Share Purchase Scheme 2008 amounting to Rs.1.21 crores is debited to Share Premium Account.

e) Shareholding of Government of India

No. of shares		Holding	
Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
37,72,07,200	37,72,07,200	59.41%	59.73%

18.2. **संमिश्र बांड :**

विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी I पूंजी के अंतर्गत आने वाले और 31 मार्च 2009 को बकाया ऐसे बांडों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.09 को समतुल्य राशि	31.03.08 को समतुल्य राशि
एमटीएन कार्यक्रम-12वीं शृंखला के अंतर्गत जारी बांड	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10.25 वर्ष	400 मिलियन अमेरिकी डालर	रु. 2028.80	रु. 1604.80
एमटीएन कार्यक्रम-14वीं शृंखला के अंतर्गत जारी बांड	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	225 मिलियन अमेरिकी डालर	रु. 1141.20	रु. 902.70
योग			**625 मिलियन अमेरिकी डालर**	**रु. 3170.00**	**रु. 2507.50**

यदि बैंक 27.06.2017 तक कॉल ऑप्शन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दर बढ़ाई जाएगी और स्थिर दर को अस्थिर दर में परिवर्तित किया जाएगा. ये बांड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए है.

18.3 गौण ऋण :

मदें	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के दौरान श्रेणी-II के रूप में उगाही गई गौण ऋणों की राशि	रु. 8000.00*	रु. 6023.50

* रु. 425 करोड़ की राशि, जो पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण के कारण अभिगृहीत की गई, इसमें शामिल नहीं है.

i) गौण ऋण - बांडों के निजी नियोजन से उगाही किए गए अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय तथा सममूल्य पर प्रतिदेय है. इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी प्रवर ऋणग्रस्तता से कम वरीयता प्राप्त है और यह श्रेणी II पूंजी के अंतर्गत आता है.

ii) ऐसे बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	निर्गम दिनांक	वार्षिक ब्याज दर	अवधि	31.03.09 को समतुल्य राशि	31.03.08 को समतुल्य राशि
निजी नियोजन बांड 2005	05.12.2005	7.45%	113 माह	3283.00	3283.00
निजी नियोजन बांड 2006	05.06.2006	8.80%	180 माह	2327.90	2327.90
निजी नियोजन बांड 2006 (ii)	06.07.2006	9.00%	180 माह	500.00	500.00
निजी नियोजन बांड 2006 (iii)	12.09.2006	8.96%	180 माह	600.00	600.00
निजी नियोजन बांड 2006(iv)	13.09.2006	8.97%	180 माह	615.00	615.00
निजी नियोजन बांड 2006(v)	15.09.2006	8.98%	180 माह	1500.00	1500.00
निजी नियोजन बांड 2006(vi)	04.10.2006	8.85%	180 माह	400.00	400.00
निजी नियोजन बांड 2006(vii)	16.10.2006	8.88%	180 माह	1000.00	1000.00
निजी नियोजन बांड 2006(viii)	17.02.2007	9.37%	180 माह	1000.00	1000.00
निजी नियोजन बांड 2006(ix)	21.03.2007	9.85%	111 माह	1500.00	1500.00
निजी नियोजन बांड 2007-08(i)	07.06.2007	10.20%	180 माह	2523.50	2523.50

18.2 **Hybrid Bonds:**

The details of bonds issued in foreign currency, which qualify for Hybrid Tier I Capital and outstanding as on 31st March 2009 are as under:

Particulars	Date of Issue	Tenor	Amount	Equivalent as on 31-3-09	Equivalent as on 31-3-08
Bond issued under the MTN Programme-12th Series	15.02.2007	Perpetual Non Call 10-25 years	USD 400 million	Rs. 2028.80	Rs. 1604.80
Bond issued under the MTN Programme-14th Series	25.06.2007	Perpetual Non Call 10 years 1 day	USD 225 million	Rs. 1141.20	Rs. 902.70
Total			**USD 625 million**	**Rs. 3170.00**	**Rs. 2507.50**

If the Bank does not exercise call option by 27.06.2017, the interest rate will be raised and fixed rate will be converted to floating rate. These bonds have been listed in Singapore Stock exchange.

18.3 **Subordinated Debt:**

Items	As at 31 March 2009	As at 31 March 2008
Amount of Subordinated Debt raised as Tier-II capital during the year	Rs. 8000.00*	Rs. 6023.50

* Does not include Rs. 425 crores which has been acquired consequent to acquisition of eSBS.

i) The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital.

ii) The details of such outstanding subordinated debt are given below:

Particulars	Date of issue	Rate of Interest: P.A.	Tenor	Equivalent Amount as on 31.03.09	Equivalent Amount as on 31.03.08
Private Placement Bonds 2005	05.12.2005	7.45%	113 months	3283.00	3283.00
Private Placement Bonds 2006	05.06.2006	8.80%	180 months	2327.90	2327.90
Private Placement Bonds 2006(II)	06.07.2006	9.00%	180 months	500.00	500.00
Private Placement Bonds 2006(III)	12.09.2006	8.96%	180 months	600.00	600.00
Private Placement Bonds 2006(IV)	13.09.2006	8.97%	180 months	615.00	615.00
Private Placement Bonds 2006(V)	15.09.2006	8.98%	180 months	1500.00	1500.00
Private Placement Bonds 2006(VI)	04.10.2006	8.85%	180 months	400.00	400.00
Private Placement Bonds 2006(VII)	16.10.2006	8.88%	180 months	1000.00	1000.00
Private Placement Bonds 2006(VIII)	17.02.2007	9.37%	180 months	1000.00	1000.00
Private Placement Bonds 2006(IX)	21.03.2007	9.85%	111 months	1500.00	1500.00
Private Placement Bonds 2007-08(I)	07.06.2007	10.20%	180 months	2523.50	2523.50

विवरण	निर्गम दिनांक	वार्षिक ब्याज दर	अवधि	31.03.09 को समतुल्य राशि	31.03.08 को समतुल्य राशि
निजी नियोजन बांड 2007-08(ii)	12.09.2007	10.10%	180 माह	3500.00	3500.00
निजी नियोजन बांड एसबीएस (i)	09.03.2006	8.15%	111 माह	200.00	—
निजी नियोजन बांड एसबीएस (ii)	30.03.2007	9.80%	111 माह	225.00	—
निजी नियोजन बांड 2008-09 (i)	19.12.2008	8.90%	180 माह	2500.00	—
निजी नियोजन बांड 2008-09 (ii)	29.12.2008	8.40%	114 माह	1500.00	—
निजी नियोजन बांड 2008-09 (iii)	02.03.2009	9.15%	180 माह	2000.00	—
निजी नियोजन बांड 2008-09 (iv)	06.03.2009	8.95%	111 माह	1000.00	—
निजी नियोजन बांड 2008-09 (v)	06.03.2009	9.15%	180 माह	1000.00	—
विदेशी मुद्रा में अप्रतिभूत ऋण	12.04.2000	6.50%	108 माह	-	32.44
योग				**27174.40**	**18781.84**

18.4 विनिधान :

1. बैंक के विनिधानों तथा विनिधानों पर हुए मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योरा निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
I. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	270886.40	185278.42
(ख) भारत से बाहर	6795.20	5204.27
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	1415.32	948.32
(ख) भारत से बाहर	312.31	33.10
iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	269471.08	184330.10
(ख) भारत से बाहर	6482.88	5171.17
II. विनिधानों के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथशेष	981.42	1254.44
ii) जोड़ें: पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण के कारण वृद्धि	31.96	—
iii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1440.18	242.83
iv) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान/पुन:वर्गीकरण का अपलेखा/प्रतिलेखा	725.93	515.85
v) इति शेष	1727.63	981.42

टिप्पणी :

1. विनिधानों के अंतर्गत - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रखी गई चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग की गई रु. निरंक (पिछले वर्ष रु.17,000 करोड़) तथा मार्केट रिपो के अंतर्गत रु. निरंक करोड़. (पिछले वर्ष रु. 515 करोड़) की प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं.

Particulars	Date of issue	Rate of Interest: P.A.	Tenor	Equivalent Amount as on 31.03.09	Equivalent Amount as on 31.03.08
Private Placement Bonds 2007-08(II)	12.09.2007	10.10%	180 months	3500.00	3500.00
Private Placement Bonds SBS(I)	09.03.2006	8.15%	111 months	200.00	—
Private Placement Bonds SBS(II)	30.03.2007	9.80%	111 months	225.00	—
Private Placement Bonds 2008-09(I)	19.12.2008	8.90%	180 months	2500.00	—
Private Placement Bonds 2008-09(II)	29.12.2008	8.40%	114 months	1500.00	—
Private Placement Bonds 2008-09(III)	02.03.2009	9.15%	180 months	2000.00	—
Private Placement Bonds 2008-09(IV)	06.03.2009	8.95%	111 months	1000.00	—
Private Placement Bonds 2008-09(V)	06.03.2009	9.15%	180 months	1000.00	—
Unsecured Loan in Foreign Currency	12.04.2000	6.50%	108 months	—	32.44
Total				**27174.40**	**18781.84**

18.4 **Investments**

1. The details of investments and the movement of provisions towards depreciation on investments of the Bank are given below:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
I. Value of Investments		
i) Gross value of Investments		
(a) In India	270886.40	185278.42
(b) Outside India	6795.19	5204.27
ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	1415.32	948.32
(b) Outside India	312.31	33.10
iii) Net value of Investments		
(a) In India	269471.08	184330.10
(b) Outside India	6482.88	5171.17
II. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i) Opening Balance	981.42	1254.44
ii) Add: Addition on account of acquisition of e-SBS	31.96	—
iii) Add: Provisions made during the year	1440.18	242.83
iv) Less: Write off/write back of excess provision during the year.	725.93	515.85
v) Closing balance	1727.63	981.42

Notes:

a. Investment exclude securities utilised under Liquidity Adjustment Facitlity with RBI Rs. Nil (Previous Year Rs. 17,000 crores) and Rs. NIL under Market Repo (Previous year Rs. 515 crores).

2. रु.10,725.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 20,055 करोड़) का विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक / क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास साथ-साथ सकल भुगतान/प्रतिभूति समाधान (आरटीजीएस / एनडीएस) के अंतर्गत मार्जिन स्वरूप रखा गया है.

3. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एसबीआइ कस्टोडिअल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड और एसबीआइ पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड में क्रमश: रु.13.76 करोड़ और रु.18 करोड़ के नए विनिधान किए गए.

4. अन्य विनिधानों में आरआइडीएफ जमा योजना के अंतर्गत नाबार्ड के पास जमा रु. 15923.14 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12039.18 करोड़) की राशि शामिल है.

5. वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम की पूंजी बढ़ाने के लिए रु. 923.66 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया.

b. Investment amounting to Rs. 10,725.00 crores (Previous Year Rs. 20,055 crores) are kept as margin with RBI/Clearing Corporation of India Limited towards Real Time Gross Settlement /Securities Settelment (RTGS/NDS).

c. During the year Bank has made fresh investment of Rs. 13.76 crores and Rs. 18 crores in SBI Custodial Services Private Limited and SBI Pension Fund Private Limited respectively.

d. Other investments include deposits with NABARD under RIDF Deposit Scheme amounting to Rs. 15923.14 crores (Previous Year Rs. 12039.18 crores).

e. During the year, the Bank has infused additional capital of Rs. 923.66 crores in subsidiaries and joint ventures to augment their capital.

2. **रिपो लेनदेन/ Repo Transactions**

वर्ष के दौरान रिपो और प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year are given below :

विवरण/ Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि Daily Average outstanding during the year	वर्ष के अंत में शेष राशि Balance as on year end
रिपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos	0.00 (0.00)	31000.71 (17900.00)	4418.48 (1627.68)	0.00 (17500.00)
प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos	0.00 (0.00)	50747.57 (24480.00)	9517.78 (2296.11)	0.00 (0.00)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं) / Figures in brackets are for Previous Year)

3. गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान संविभाग

Non-SLR Investment Portfolio

(a) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना :

Issuer composition of Non SLR Investments:

बैंक के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है :

The issuer composition of Non-SLR investments of the Bank is given below :

सं. No.	निर्गमकर्ता / Issuer	सकल बकाया राशि Gross outstanding	निजी नियोजन की मात्रा Extent of Private Placement	'विनिधान श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of `Below Invest-ment Grade' Securities *	'बिना रेटिंग वाली' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of `Unrated' Securities *	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of `Unlisted' Securities *
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	13945.85 (16315.61)	460.15 (828.16)	50.00 (94.00)	54.62 (137.40)	54.62 (393.10)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	1573.83 (1812.28)	603.32 (919.29)	496.77 (456.04)	25.09 (199.24)	555.27 (771.04)
(iii)	बैंक / Banks	3219.45 (3786.33)	1200.67 (2259.57)	122.37 (158.00)	25.36 (19.06)	177.78 (550.00)
(iv)	गैर सरकारी कारपोरेट Private Corporates	6399.74 (5131.00)	412.83 (653.01)	156.92 (202.60)	1265.41 (172.80)	1417.44 (92.10)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम ** Subsidiaries / Joint ventures **	4926.23 (4383.94)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
(vi)	अन्य / Others	19403.40 (15370.55)	358.27 (284.48)	137.60 (141.00)	330.20 (51.00)	232.02 (16.00)
(vii)	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान Provision held towards depreciation	1624.69 (770.73)	0.00 0.00	109.84 (45.00)	75.75 (4.00)	101.17 (26.00)
	योग / Total	47843.81	3035.24	853.82	1624.93	2335.96
	पिछला वर्ष/ Previous Year	(46028.98)	(4944.51)	(1006.64)	(575.50)	(1796.24)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year)

* इक्विटी, इक्विटी-सम्बद्ध लिखतों, आस्ति समर्थित प्रतिभूतिकृत लिखत, सरकारी प्रतिभूतियों और पास -थ्रू-सर्टिफिकेट में विनिधान को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं.

** अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में विनिधानों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं.

* Investment in equity, equity linked instruments, asset backed securitised instruments, Govt. securities and pass through certificates have not been segregated under these categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines.

** Investments in Subsidiaries/Joint Ventures have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines.

ख) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	225.23	238.42
वर्ष के दौरान वृद्धि	386.15	24.18
वर्ष के दौरान कमी	13.16	37.37
इति शेष	598.22	225.23
रखे गए कुल प्रावधान	387.90	201.32

18.5 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	109,936.12	155,928.42
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	2,131.06	1666.30
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v) विनिमय - बही का उचित मूल्य	47.67	160.50

ख) बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि	निरंक	निरंक
2	31मार्च 2009 को बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	निरंक	निरंक
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	निरंक	निरंक

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम वाले निवेश का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

i. बैंक वर्तमान में काउंटर पर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर विकल्प और परस्पर-मुद्रा विकल्प शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विक्रय - प्रस्ताव, उनके निवेशों पर नियंत्रण करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों हेतु बचाव-व्यवस्था करने के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलनपत्र की मदों के लिए बचाव-व्यवस्था करने हेतु भी किया जाता है. बैंक इस प्रकार के सामान्य लिखतों का भी लेनदेन करता है.

ii. डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल हैं अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है और यदि प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया गया तो बैंक को ऋण जोखिम अर्थात् भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम (हानि कम करने के लिए सतर्कता बिन्दु, आंरभिक राशि सीमा, अवधि, आशोधित अवधि, पीवी 01, आदि) के मानदंड निर्धारित किए गए हैं. इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, ऋण अवधि आदि) भी निर्धारित किए गए हैं. प्रतिपक्षों द्वारा इन मानदंडों को पूरा करने, बाध्यताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समुचित ऋण -सीमा निर्धारित करने तथा प्रतिपक्षों से डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है. बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आइएसडीए करार करता है.

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन पर बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निगरानी रखती है. बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी), डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन और अनुवर्तन करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित एवं न्यूनीकृत करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नीतिगत उपाय सुझाने के साथ-साथ नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

iv. डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2008-09 की प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) : अनुसूची 17 में दिया गया है.

b) Non Performing Non-SLR Investments

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	225.23	238.42
Additions during the year	386.15	24.18
Reductions during the year	13.16	37.37
Closing balance	598.22	225.23
Total provisions held	387.90	201.32

18.5 Derivatives

a) Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
i) The notional principal of swap agreements	109,936.12	155,928.42
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	2,131.06	1,666.30
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Not significant	Not Significant
v) The fair value of the swap book	47.67	160.50

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2009	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil
4	Marked-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil

c) Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

(A) Qualitative Disclosure

i. The Bank currently deals in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives. Interest rate derivatives dealt with by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency derivatives dealt with by the Bank are currency swaps, rupee dollar options and cross-currency options. The products are offered to the Bank's customers to manage their exposures and the Bank enters into derivatives contracts to cover such exposures. Derivatives are also used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. The Bank also deals in a mix of these generic instruments.

ii. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes the market risk parameters (cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.) as well as customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship etc.) for entering into derivative transactions.Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties in respect of whom appropriate limits are set for taking into account their ability to honour obligations.The Bank enters into ISDA agreements with each counterparty.

iii. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD), independently identifies measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.

iv. The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17: Principal Accounting Policy (PAP) for the financial year 2008-09.

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : B) Quantitative Disclosures :

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरीवेटिव्स Currency Derivatives		ब्याज दर डेरीवेटिव्स Interest Rate Derivatives	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	डेरीवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क/a) बचाव-व्यवस्था के लिए / For hedging	4,075.20	1,631.21	14,197.35	11,201.98
	ख/b) क्रय-विक्रय के लिए / For trading	111,307.23	214,446.76	93,493.15	144,726.44
(ii)	बाजार के बही- मूल्य के अनुसार स्थिति Marked to Market Positions				
	क/a) आस्ति / Asset	15,041.54	3,705.16	1,333.78	414.73
	ख/b) देयता / Liability	94.67	37.43	338.92	463.89
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure	20,205.45	10,574.55	3,715.10	2,671.73
(iv)	ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
	क/a) बचाव-व्यवस्था डेरीवेटिव्स पर / on hedging derivatives	-44.74	-11.56	-23.33	205.32
	ख/b) क्रय-विक्रय डेरीवेटिव्स पर / on trading derivatives	-0.53	63.03	13.51	20.52
v)	वर्ष के दौरान 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year				
	क/a) बचाव-व्यवस्था पर / on hedging	5.23 एवं/& -62.92	-7.45 एवं/& -13.32	12.19 एवं/& -44.57	231.79 एवं/& 89.36
	ख/b) क्रय-विक्रय पर / on trading	-0.09 एवं/& -0.36	94.57 एवं/& 3.99	20.63 एवं/& -0.40	42.65 एवं/&1.75

घ) बैंक को रु. 455.64 करोड़ राशि की बकाया डेरीवेटिव संविदाओं पर बही में बाजार मूल्य पर अंकन के कारण हानि हुई. बैंक को इसी अवधि में रु. 481.21 करोड़ राशि के डेरीवेटिव लेन-देन पर एक्सचेंज और अन्य आय की प्राप्ति हुई. डेरीवेटिव लेन-देन के कारण बैंक के लाभ और हानि खाते में वित्त वर्ष 2008-09 के लिए रु. 25.57 करोड़ के रूप में निवल प्रभाव पड़ा.

ङ) जहाँ अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं को बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया है उनका मूल्य रु. 19897.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 12833.19 करोड़) है वहाँ डेरीवेटिव्स का बचाव-व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया गया है और इस डेरीवेटिव्स पोर्टफोलियो के बाजार-बही मूल्य में कोई हानि नहीं हुई (पिछले वर्ष भी कोई हानि नहीं हुई थी).

18.6 आस्ति - गुणवत्ता

(क) अनर्जक आस्तियां

	विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.76%	1.78%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (कुल)		
	(क) अथशेष	12837.34	9998.22
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	11014.81	7899.04
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	8263.55	5059.92
	(घ) इति शेष	15588.60	12837.34
iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	7424.33	5257.72
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	6736.85	5063.06
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	4609.16	2896.45
	(घ) इति शेष	9552.02	7424.33
iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथ शेष	5413.01	4740.50
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4277.96	2835.98
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन / प्रतिलेखन	3654.39	2163.47
	(घ) इति शेष	6036.58	5413.01

d) The Bank has suffered Marked to Market loss on the outstanding Derivative contracts to the extent of Rs. 455.64 crores. In the same period Bank has booked exchange and other income on derivative transactions to the tune of Rs. 481.21 crores. Net impact on Profit & Loss of the Bank on account of derivative transactions is Rs. 25.57 crores as profit for the financial year 2008-09.

e) The outstanding derivatives used for hedging where the underlying assets/liabilities have not been marked to market amounts to Rs. 19897.28 crores (Previous Year Rs. 12833.19 crores) and there is no loss (Previous Year No Loss) in the mark to market value of this derivative portfolio.

18.6 Asset Quality

a) Non-Performing Asset

	Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.76%	1.78%
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	12837.34	9998.22
	(b) Additions during the year	11014.81	7899.04
	(c) Reductions during the year	8263.55	5059.92
	(d) Closing balance	15588.60	12837.34
iii)	Movement of Net NPAs		
	(a) Opening balance	7424.33	5257.72
	(b) Additions during the year	6736.85	5063.06
	(c) Reductions during the year	4609.16	2896.45
	(d) Closing balance	9552.02	7424.33
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(a) Opening balance	5413.01	4740.50
	(b) Provisions made during the year	4277.96	2835.98
	(c) Write-off / write-back of excess provisions	3654.39	2163.47
	(d) Closing balance	6036.58	5413.01

ख) पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का ब्योरा

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring

I. 1 अप्रैल 2008 से 27 अगस्त 2008 की अवधि के दौरान पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुन:परक्रामण अधीन ऋण आस्तियाँ

Loan Assets subjected to restructuring, rescheduling & renegotiation during the period from 1st April 2008 to 27th August 2008

विवरण/ Particulars	कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) योजना के अधीन (क) Under Corporate Debt Restructuring (CDR) Scheme (A)	लघु और मध्यम उद्यम योजना के अधीन (ख) Under Small & Medium Enterprises Scheme (B)	सीडीआर और एसएमई योजना के अलावा (ग) Other than under CDR & SME Scheme(C)	योग Total क + ख + ग A+B+C
i) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुन:परक्रामण अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	367.01 (322.54)	91.83 (52.89)	1574.67 (1045.97)	2033.51 (1421.40)
(ii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुन:परक्रामण अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	352.42 (288.53)	91.11 (18.88)	1571.74 (1019.45)	2015.27 (1326.86)
(iii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुन: परक्रामण अधीन अवमानक आस्तियों की राशि The amount of Sub-Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	14.59 (26.09)	0.05 (0.04)	2.92 (26.02)	17.56 (52.15)
(iv) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुन: परक्रामण अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि The amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	0 (7.92)	0.67 (33.97)	0.01 (0.50)	0.68 (42.39)

II. (i) 28 अगस्त 2008 से 31 मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, और पुन:परक्रामण के अधीन

Loan Assets subjected to restructuring, rescheduling & renegotiation during the period from 28th August 2008 to 31st March 2009

विवरण **Particulars**	विवरण **Particulars**	सीडीआर व्यवस्था **CDR Mechanism**	एसएमई ऋण पुनर्संरचना **SME Debt Restructuring**	अन्य **Others**	योग **Total**
पुनर्संरचनागत मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	29	6355	30859	37243
	बकाया राशि Amount outstanding	285.01	1290.50	9201.83	10777.34
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	22.09	20.87	155.73	198.69
पुनर्संरचनागत अवमानक अग्रिम Sub standard advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	3	184	1473	1660
	बकाया राशि Amount outstanding	15.06	53.87	81.35	150.28
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0.82	2.34	3.16
पुनर्संरचनागत संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	0	5	214	219
	बकाया राशि Amount outstanding	0	1.96	72.17	74.13
	Sacrifice (diminution उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) in the fair value)	0	0.21	3.09	3.30
योग TOTAL	उधारकर्त्ताओं की सं. No. of Borrowers	32	6544	32546	39122
	बकाया राशि Amount outstanding	300.07	1346.33	9355.35	11001.75
	उत्सर्जन (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	22.09	21.90	161.16	205.15

(ii). पुनर्संरचित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण *:-

(ii). Additional disclosure regarding restructured accounts*:-

क्रम सं. Sr. No.	प्रकटीकरण Disclosures	संख्या Number	राशि Amount
1	उन खातों, जो 1 सितम्बर 2008 को मानक थे, के लिए 31मार्च 2009 तक पुनर्संरचना के लिए प्राप्त आवेदन Application received up to March 31, 2009 for restructuring, in respect of accounts which were standard as on September 1, 2008.	43290	21792.86
2	(1) के प्रस्ताव 31 मार्च 2009 को अनुमोदित एवं कार्यान्वित किए गए और इस प्रकार विशेष विनियामक कार्रवाई के योग्य हो गए तथा तुलनपत्र की तिथि को उनका वर्गीकरण मानक आस्तियों के रूप में किया गया Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 and thus became eligible for special regulatory treatment and classified as standard assets as on the date of the balance sheet.	37243	10777.34
3	(1) के प्रस्ताव 31 मार्च 2009 को अनुमोदित एवं कार्यान्वित किए गए किन्तु उन्हें मानक श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सका Of (1), proposals approved and implemented as on March 31, 2009 but could not be upgraded to the standard category.	1128	64.36
4	(1) के प्रक्रिया/कार्यान्वयन के अधीन प्रस्ताव, जो 31 मार्च 2009 को मानक थे Of (1), proposals under process/ implementation which were standard as on March 31, 2009.	3270	8786.69
5	(1) के प्रक्रिया/कार्यान्वयन के अधीन प्रस्ताव जो 31 मार्च 2009 को अनर्जक आस्तियाँ हो गए, किन्तु पैकेज के पूर्ण कार्यान्वयन पर उनका वर्गीकरण मानक आस्तियों के रूप में किए जाने की संभावना है Of (1), proposals under process/ implementation which turned NPA as on March 31, 2009 but are expected to be classified as standard assets on full implementation of the package.	1649	2164.47

*(जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया)

*(as compiled by management and relied upon by the auditors)

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	5	2
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	15.20	16.61
iii) समग्र प्रतिफल	92.93*	19.87
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / (हानि)	77.73	3.26

घ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	निरंक	1
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	6.35
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	निरंक	निरंक
(ख) कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक

ङ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	5	2
2) कुल बकाया राशि	288.77	25.22
3) प्राप्त समग्र प्रतिफल	92.93*	19.87

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु.1/- पर अंकित रु. 34.75 करोड़ की प्रतिभूति रसीदें इसमें शामिल नहीं हैं.

च) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों (पुनर्संरचनागत मानक आस्तियों के लिए प्रावधान सहित) पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	2245.14*	1981.62

* इसमें पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण के कारण अंतरित रु.59.50 करोड़ की राशि शामिल है. इसमें चालू वर्ष के दौरान विदेश स्थित कार्यालयों के लिए किए गए प्रावधान की रु. 30.79 करोड़ की राशि शामिल नहीं है.

c) Details of financial assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC) for Asset Reconstruction

Particulars	Current Year	Previous Year
i) No. of Accounts	5	2
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	15.20	16.61
iii) Aggregate consideration	92.93*	19.87
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v) Aggregate gain / (loss) over net book value	77.73	3.26

d) Details of non-performing financial assets purchased:

Particulars	Current Year	Previous Year
1) (a) No. of Accounts purchased during the year	Nil	1
(b) Aggregate outstanding	Nil	6.35
2) (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

e) Details of non-performing financial assets sold:

Particulars	Current Year	Previous Year
1) No. of Accounts sold	5	2
2) Aggregate outstanding	288.77	25.22
3) Aggregate consideration received	92.93*	19.87

* Does not include Security Receipts of Rs. 34.75 crores recognised at Re 1/- in accordance with RBI guidelines.

f) Provision on Standard Assets:

The Provision on Standard Assets held by the Bank in accordance with RBI guidelines is as under:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Provision towards Standard Assets	2245.14*	1981.62

* Includes Rs. 59.49 crores transferred on acquisition of eSBS.Excludes Rs. 30.79 crores made for Foreign offices during current year.

छ) व्यवसाय अनुपात :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.29%	7.32%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.45%	1.30%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	2.05%	1.96%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.04%	1.01%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (रु. हजार में)	55600	45600
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (रु. हजार में)	473.77	372.57

g) **Business Ratios**

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	7.29 %	7.32%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.45 %	1.30%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.05 %	1.96%
iv. Return on Assets	1.04 %	1.01%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in thousands)	55600	45600
vi. Profit per employee (Rs. in thousands)	473.77	372.57

ज) आस्ति देयता प्रबंधन : 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

h) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2009.

	14 दिन तक Upto 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 मास 29 days to 3 months	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक Over 3 months & upto 6 months	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग TOTAL
जमाराशियाँ Deposits	83690.40 (66386.15)	14592.93 (6317.86)	37853.31 (22983.65)	56627.41 (25871.69)	86114.19 (36525.64)	181909.61 (118495.71)	102864.77 (93357.76)	178420.51 (167465.48)	742073.13 (537403.94)
अग्रिम Advances	87221.68 (78308.83)	8026.04 (12467.60)	33299.25 (12966.63)	26620.89 (11380.72)	19452.19 (15298.44)	240706.90 (168907.79)	42276.20 (43212.08)	84900.05 (74226.11)	542503.20 (416768.20)
विनिधान Investments	18024.74 (83.68)	4494.75 (1325.32)	21733.42 (3729.36)	7848.99 (5208.98)	6777.18 (6274.24)	32238.61 (38455.91)	60331.76 (33888.13)	124504.50 (100535.65)	275953.95 (189501.27)
उधार-राशियाँ Borrowings	12362.18 (11629.39)	5531.82 (5726.92)	10490.96 (15887.11)	8523.60 (4142.76)	4384.83 (7130.49)	9173.88 (5860.76)	3052.88 (771.99)	193.53 (577.99)	53713.68 (51727.41)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Curency Assets	28940.13 (29826.39)	7332.46 (9739.96)	29855.55 (4285.54)	19109.41 (4120.29)	5943.45 (4406.49)	17732.69 (8034.06)	11663.61 (7861.81)	11379.36 (11056.80)	131956.66 (79331.34)
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilties	31287.61 (16335.17)	9152.31 (8157.90)	14704.28 (17578.48)	15303.09 (7513.62)	14831.34 (13431.40)	17878.41 (11628.58)	6550.34 (2603.73)	1677.01 (1301.36)	**111384.39** (78550.24)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2008 के हैं)
(Figures in brackets are as at 31st March 2008)

18.7 ऋण-जोखिम से संबंधित क्षेत्र

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है. स्थावर संपदा और पूंजी बाजार के क्षेत्र ऐसे ही अस्थिर क्षेत्र हैं.

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
क) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	46,281.86	42,116.80
जिनमें से रु. 20 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	30,146.88	33,103.18
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	16,939.71	11,958.38
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में विनिधान :	667.26	-
आवासीय	5.25	-
वाणिज्यिक स्थावर संपदा	662.01	-
अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण-जोखिम	216.14	3,795.36
योग	**64,104.97**	**57,870.54**

18.7 Exposures

The Bank has lending to sectors which are sensitive to asset price fluctuations. These sensitive sectors are real estate and capital markets.

a) Real Estate Sector

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Direct exposure		
i) Residential Mortgages	46,281.86	42,116.80
- Of which individual housing loans up to Rs.20 Lakhs	30,146.88	33,103.18
ii) Commercial Real Estate	16,939.71	11,958.38
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures:	667.26	—
Residential	5.25	—
Commercial Real Estate	662.01	—
Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	216.14	3,795.36
Total	**64,104.97**	**57,870.54**

ख) पूंजी बाजार

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष विनिधान जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट-ऋण में विनिधान नहीं किया गया है,	5793.37	5,352.53
2) शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में विनिधान के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	26.94	367.47
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	43.89	32.38
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है अर्थात् जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	734 .26	45.68
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	17.52	277.37
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण		200.00
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण		-
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों या इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों के प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार.		-
9) शेयरदलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	0.08	0.20
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण -जोखिम	358.27	312.72
पूंजी बाजार में कुल ऋण-जोखिम	**6974.33**	**6588.35**

b) Capital Market

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
1) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	5793.37	5,352.53
2) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds.	26.94	367.47
3) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	43.89	32.38
4) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	734 .26	45.68
5) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	17.52	277.37
6) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	—	200.00
7) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	—	—
8) Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	—	—
9) Financing to stockbrokers for margin trading.	0.08	0.20
10) Exposures to Venture Capital Funds	358.27	312.72
Total Exposure to Capital Market	**6974.33**	**6588.35**

ग) वर्गवार-देशवार जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. नगण्य जोखिम श्रेणी वाले देश को छोड़कर, बैंक का देशगत जोखिम (कुल निधिक) - इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु. 25.03 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

c) Country-Risk Categorywise

As per the extant RBI guidelines, the country where exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table. The country exposure (net funded) of the Bank for any country does not exceed 1% of its total assets except to a country in insignificant risk category. Provision of Rs. 25.03 crores has been made in accordance with RBI guidelines.

जोखिम वर्ग Risk Category	ऋण-जोखिम (निवल) Exposure (net)		धारिता Provision held	
	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2009	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2008	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2009	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2008
नगण्य / Insignificant	33980.08	22208.55	25.03	12.50
कम / Low	10859.90	5185.89	निरंक / Nil	निरंक / Nil
सामान्य / Moderate	6237.82	4713.24	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अधिक / HIgh	4783.54	3314.57	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अत्यधिक / Very HIgh	1022.73	1015.84	निरंक / Nil	निरंक / Nil
प्रतिबंधित / ऋण में शामिल न होने वाले Restricted / Off-Credit	765.16	19.50	निरंक / Nil	निरंक / Nil
योग / Total	57649.23	36457.59	25.03	12.50

घ) **बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्त्ता तथा समूह उधारकर्त्ता ऋण जोखिम सीमा का ब्योरा :**

d) **Single Borrower and Group Borrower exposure limits exceeded by the Bank :**

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्त्ता ऋण-जोखिम लिए :

The Bank had taken single borrower exposure in excess of the prudential limit in the cases given below :

उधारकर्त्ता का नाम Name of the Borrower	ऋण-जोखिम की उच्चत्तम सीमा Exposure ceiling	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर) Limit Sanctioned (Peak Level)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि Period during which limit exceeded	31.03.09 को बकाया Outstanding as on 31.03.09
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. Reliance Industries Ltd.	10,464.39	13,764.04	मई 2008 से अगस्त 2008 May 2008 to August 2008	
	10,770.67	14,129.89	सितम्बर 2008 से मार्च 2009 तक / September 2008 to March 2009	11,197.65
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. Indian Oil Corporation Ltd.			अप्रैल April 2008	
	10,464.39	10,503.72	जुलाई 08 से अगस्त 08 July 2008 to August 2008	
	17,440.66	20,241.17	सितम्बर 08 से मार्च 09 September 2008 to March 2009	14,791.97
	17,915.13	20,533.87		

* बोर्ड के अनुमोदन से / with the approval of the Board

ङ.) **अनुषंगियों को जारी चुकौती आश्वासन पत्र:**

बैंक ने अपने सहयोगियों की ओर से चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं. 31 मार्च 2009 को चुकौती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि रु.166.45 करोड़ (पिछले वर्ष रु.341.23 करोड़) थी. बैंक के आकलन के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं.

च.) **आरक्षितियों से आहरण:**

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

विवरण	31मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के संक्रमणीय दायित्व का कार्यान्वयन	-	4075.64
समाधान के अंतर्गत ड्राफ्टों के भुगतान के लिए	-	0.10
ईएसपीएस शेयरों पर लाभांश और इस पर लाभांश वितरण कर	8.58	

18.8 विविध

क) **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण**

निरंक (पिछला वर्ष - निरंक)

ख) **ग्राहक - शिकायतों की स्थिति :**

विवरण	31मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1030	454
पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण के कारण वृद्धि	258	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	23571	16461
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	23709	15885
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1150	1030

ग) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	4	0
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	19	22
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	22	18
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1	4

घ) बैंक को आपूर्तिकर्त्ताओं से व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत - उनकी स्थिति से सम्बद्ध चूंकि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अत: वर्ष के अंत में, उक्त अधिनियम के अंतर्गत ब्याज सहित भुगतान न की गई राशि के संबंध में न तो कोई प्रकटीकरण किया गया है और न ही विलम्बित भुगतान की स्थिति से ब्याज-प्रावधान का इस समय अनुमान लगाना संभव है.

e) **Letter of Comfort issued for Subsidiaries:**

The Bank has issued letters of comfort on behalf of its subsidiaries. Outstanding letters of comfort as on 31st March 2009 aggregate to Rs. 166.45 crores (Previous Year Rs. 341.23 crores.) In the Bank's assesment no financial impact is likely to arise.

f) **Withdrawal from Reserves:**

During the year, the bank has withdrawn following amount from the Reserves:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Transitional liability on implementation of AS 15 (Revised 2005)	—	4075.64
On account of payment of Drafts under reconciliation	—	0.10
Dividend on account of ESPS shares and dividend distribution tax thereon	8.58	-

18.8 **Miscellaneous**

a) **Disclosure of Penalties imposed by RBI:**

Nil (Previous year - Nil)

b) **Status of customer complaints:**

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
No. of complaints pending at the beginning of the year	1030	454
Addition on account of aqusition of eSBS	258	—
No. of complaints received during the year	23571	16461
No. of complaints redressed during the year	23709	15885
No. of complaints pending at the end of the year	1150	1030

c) **Awards passed by the Banking Ombudsman:**

Particulars	Current Year	Previous Year
No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	4	0
No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	19	22
No. of Awards implemented during the year	22	18
No. of unimplemented Awards at the end of the year	1	4

d) The bank has not received any intimation from the suppliers regarding their status under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence the disclosures relating to amount unpaid as at the end of the year together with interest payable as required under the said act has not been furnished and provision for interest, if any, on delayed payment is not ascertainable at this stage

18.9 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता

क) लेखा नीति में परिवर्तन

बैंक वर्ष के अंत में किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ट्रस्टियों द्वारा नियंत्रित पेंशन फंड में वार्षिक अंशदान कर रहा है. बैंक ने एसबीआइ पेंशन फंड नियमावली के अनुसार पेंशन फंड में मूल वेतन की 10% राशि का अपना अंशदान करने का निर्णय लिया है. शेष राशि के लिए बीमांकिक देयता के अनुसार पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है और यह राशि पेंशनरों के संबंध में निपटान करने के लिए एक विशेष प्रावधान खाते में रखी गई है.

इस परिवर्तन के कारण कर पश्चात् लाभ में, रु. 508 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के रूप में, रु. 296 करोड़ की वृद्धि हुई है.

ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगी कंपनियों में विनिधान/वायदे

1. भारतीय स्टेट बैंक ने रु. 13.76 करोड़ की पूंजी से एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, एसबीआइ कस्टोडियल सर्विसेज प्रा. लि, स्थापित की है. इसमें बैंक की 65% साझेदारी से सोसाइटी जनरल, फ्रांस के साथ संयुक्त उद्यम करार किया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने कथित संयुक्त उद्यम का अनुमोदन कर दिया है और बैंक को सेबी से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है. इस संयुक्त उद्यम की अधिकृत शेयर पूंजी रु.100 करोड़ तक प्रस्तावित की गई.
2. बैंक की एक अनुषंगी, इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक (आइओआइबी) का बैंक की दूसरी अनुषंगी एसबीआइ इंटरनेशनल (मॉरीशस) लि. में समामेलन किया गया है और समामेलित कंपनी का नाम एसबीआइ (मॉरीशस) लि. के रूप में परिवर्तित हुआ है तथा वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अपनी पूर्ववर्ती स्थिति से सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुई है. विलय की योजना को बैंक ऑफ मॉरीशस ने 1 अप्रैल 2008 की नियत तिथि से संस्वीकृत किया है. परिणामस्वरूप, एसबीआइ (मॉरीशस) में बैंक का अंश 98% शेयर धारिता (विलय-पूर्व) से घट कर 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 93.40% शेयर धारिता (विलय-उपरांत) हो गई है.
3. बैंक ने साधरण बीमा प्रदान करने के लिए रु. 20 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निगमित की है, जो विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है. बैंक ने साधारण बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप (आइएजी) के साथ संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किया है. बैंक के पास इस संयुक्त उद्यम में 74% इक्विटी रहेगी, जबकि आइएजी के पास 26% इक्विटी रहेगी.
4. बैंक ने भारत में विभिन्न संरचनागत परियोजनाओं में विनिधान हेतु यूएस डालर 3 बिलियन की संरचनागत निधि के निर्धारण के लिए मैक्वारी कैपिटल ग्रुप, आस्ट्रेलिया और आइएफसी, वाशिंग्टन के साथ संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है.
5. बैंक ने भारत में विविध क्षेत्रों में विनिधान हेतु एक सामान्य निधि के सृजन के उद्देश्य से स्टेट जनरल रिज़र्व फंड (एसजीआरएफ), ओमान, उस देश की सरकारी निधि के साथ, सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है.
6. बैंक तथा एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लि. (एसबीआइ कैप) के बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एसएसएल की नियंत्रक कंपनी एसबीआइ कैप से एसबीआइ कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) को इसकी अनुषंगी के रूप में अधिकार में लेने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है.

ग) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्न तालिका में लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना, ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रस्तुत की गई है :

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2008 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	16810.00	15929.00	3544.18	3527.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण पर अर्जित देयता	571.36	—	121.66	—
वर्तमान सेवा लागत	755.83	423.14	130.20	126.15
ब्याज लागत	1362.00	1290.00	285.00	285.00
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	905.07	219.62	-88.56	-72.97
प्रदत्त हितलाभ	-1075.54	-1051.76	-214.30	-321.00
31 मार्च 2009 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18

18.9 Disclosure Requirements as per Accounting Standards

a) Changes in Accounting Policy

The Bank has been making annual contributions to the pension fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out at the year end. The Bank has decided to make its contribution to the Pension Fund at 10% of the basic salary in terms of SBI pension Fund Rules. The balance amount as per actuarial liability is fully provided for and kept in a special provision account for settlement to pensioners.

Consequent to this change, the profit after tax has gone up by Rs. 296 crores after considering the deferred tax asset of Rs. 508 crores.

b) Investments / Commitments in Subsidiaries, Joint Ventures, Associates

1. SBI has established a wholly owned subsidiary, SBI Custodial Services Pvt. Ltd., with a capital of Rs. 13.76 crores. A joint venture agreement has been entered with Societe Generale, France, with the bank having 65% stake. RBI has approved the said joint venture and the bank is awaiting approval from SEBI. The authorised share capital of the joint venture is envisaged at Rs. 100 crores.
2. The Bank's subsidiary, Indian Ocean International Bank (IOIB) amalgamated with SBI International (Mauritius) Ltd, another subsidiary of the Bank and the amalgamated entity's name has been changed to SBI (Mauritius) Ltd. and converted as a Public Limited Company from its erstwhile status as a Private Limited Company. The Scheme of Merger has been sanctioned by Bank of Mauritius from 1st April 2008, being the appointed date. Consequently, the Bank's stake in SBI (Mauritius) has reduced from a 98% holding (pre-merger) to 93.40% holding as at 31st March 2009 (post-merger).
3. The bank has incorporated SBI General Insurance Company Limited, with authorised share capital of Rs. 20 crores, for providing General Insuarance subject to regulatory approvals. The Bank has signed a joint venture agreement with Insurance Australia Group (IAG) for conducting the General Isuarance business. The bank will hold 74% equity in the JV, while IAG will hold 26% equity.
4. The bank has signed a joint venture with Macquarie Capital Group,Australia and IFC,Washington for setting up an Infrastructure fund of USD 3 billion for investing in various infrastructure projects in India for which RBI and Government approval have been received.
5. The bank has signed an MOU with State General Reserve Fund (SGRF) of Oman, a Sovereign Fund of that country with an objective to set up a general fund to invest in various sectors in India.While the RBI approval has been received , the Government of India approval is awaited.
6. The Boards of the Bank and SBI Capital Markets Ltd. (SBICAP) have approved takeover of SBICAP Securities Limited (SSL) by SBI as its subsidiary from SSL's holding company – SBICAP, subject to necessary regulatory approval.

c) Employee Benefits

i. Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005)

Particulars	Pension Plans		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in the present value of the defined benefit obligation				
Opening defined benefit obligation at 1st April 2008	16810.00	15929.00	3544.18	3527.00
Liability acquired on acquisition of State Bank of Saurashtra	571.36	—	121.66	—
Current Service Cost	755.83	423.14	130.20	126.15
Interest Cost	1362.00	1290.00	285.00	285.00
Actuarial losses (gains)	905.07	219.62	-88.56	-72.97
Benefits paid	-1075.54	-1051.76	-214.30	-321.00
Closing defined benefit obligation at 31st March 2009	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2008 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	13084.80	12205.26	3544.18	3527.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण पर अर्जित आस्ति	172.91	—	90.21	—
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1046.78	976.42	278.88	269.72
नियोक्ता द्वारा अंशदान	356.44	884.14	49.00	5.00
प्रदत्त हितलाभ	-1075.54	-1051.76	-214.30	-321.00
बीमांकिक लाभ	124.74	70.74	-1.24	63.46
31 मार्च 2009 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	13710.13	13084.80	3746.73	3544.18
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2009 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18
31 मार्च 2009 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	13710.13	13084.80	3746.73	3544.18
कमी/ (अधिशेष)	5618.59	3725.20	31.45	—
लेखे मे नहीं ली गई विगत सेवा लागत	—	—	—	—
निवल देयता / (आस्ति)	5618.59	3725.20	31.45	—
तुलनपत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18
आस्तियाँ	13710.13	13084.38	3746.73	3544.18
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/ (आस्ति)	5618.59	3725.20	31.45	—
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	755.83	423.14	130.20	126.15
ब्याज लागत	1362.00	1290.00	285.00	285.00
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	-1046.78	-976.42	-278.88	-269.72
वर्ष के दौरान शामिल निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	780.33	148.88	-87.32	-136.43
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल किया गया है.	1851.38	885.60	49.00	5.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	1046.78	976.42	278.88	269.72
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	124.74	70.74	-1.24	63.46
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	1171.52	1047.16	277.64	333.18
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के अथ और इति शेष का समाधान				
1 अप्रैल 2008 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	3725.20	3723.74	—	—

Particulars	Pension Plan		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Change in Plan Assets				
Opening fair value of plan assets as at 1st April 2008	13084.80	12205.26	3544.18	3527.00
Asset acquired on acquisition of State Bank of Saurashtra	172.91	—	90.21	—
Expected Return on Plan assets	1046.78	976.42	278.88	269.72
Contributions by employer	356.44	884.14	49.00	5.00
Benefit Paid	-1075.54	-1051.76	-214.30	-321.00
Actuarial Gains	124.74	70.74	-1.24	63.46
Closing fair value of plan assets at 31st March 2009	13710.13	13084.80	3746.73	3544.18
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
Present Value of Funded obligation at 31st March 2009	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18
Fair Value of Plan assets at 31st March 2009	13710.13	13084.80	3746.73	3544.18
Deficit/(Surplus)	5618.59	3725.20	31.45	—
Unrecognised Past Service Cost	—	—	—	—
Net Liability/(Asset)	5618.59	3725.20	31.45	—
Amount Recognised in the Balance Sheet				
Liabilities	19328.72	16810.00	3778.18	3544.18
Assets	13710.13	13084.80	3746.73	3544.18
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	5618.59	3725.20	31.45	—
Net Cost recognised in the profit and loss account				
Current Service Cost	755.83	423.14	130.20	126.15
Interest Cost	1362.00	1290.00	285.00	285.00
Expected return on plan assets	-1046.78	-976.42	-278.88	-269.72
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	780.33	148.88	-87.32	-136.43
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 “Payments to and provisions for employees”	1851.38	885.60	49.00	5.00
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets				
Expected Return on Plan Assets	1046.78	976.42	278.88	269.72
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	124.74	70.74	-1.24	63.46
Actual Return on Plan Assets	1171.52	1047.16	277.64	333.18
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet				
Opening Net Liability as At 1st April 2008	3725.20	3723.74	—	—

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	1851.38	885.60	49.00	5.00
पूर्ववर्ती एसबीएस के अभिग्रहण से प्राप्त देयताएं	571.36	—	121.66	—
पूर्ववर्ती एसबीएस के अभिग्रहण से प्राप्त आस्तियाँ	172.91	—	90.21	—
नियोक्ता का अंशदान	356.44	884.14	49.00	5.00
तुलनपत्र में शामिल की गई निवल देयता / (आस्ति)	5618.59	3725.20	31.45	—

बैंक को अगले वित्त वर्ष के दौरान अपनी नियत लाभ पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना में क्रमश: रु.735 करोड़ तथा रु.45 करोड़ का भुगतान करने की आशा है.

31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	ग्रेच्युटी निधि योजना आस्तियों का %	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.41	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	23.28	
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	36.60	
बैंक में मियादी जमा रसीद/सावधि जमा रसीद	1.71	
बैंक की जमाराशियाँ	1.57	100*
अन्य	2.43	
योग	**100**	**100**

* बैंक में रखी गई

प्रमुख बीमांकिक प्राक्कलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ		ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.00%	8.00%	7.85%	8.00%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
वेतन बढ़ोतरी	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

भावी वेतन बढ़ोतरी का पूर्वानुमान, बीमांकिक मूल्यन का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान बहुत लम्बी अवधि के लिए है और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि बहुत लम्बी अवधि के दौरान - सतत् उच्च वेतन बढ़ोतरी करते रहना संभव नहीं है लेखापरीक्षकों ने इसे स्वीकार किया है.

ii) कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा (वर्ष 2005 में संशोधित) लेखा मानक - 15 के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगी क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ को पूरा करना है. वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो. तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है. रु. 337.53 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 344.60 करोड़) की राशि को लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में शामिल किया गया है.

iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

रु. 49.05 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 133.40 करोड़) की राशि को भुगतान घटाकर दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों के रूप में प्रतिलिखित किया गया है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत शामिल किया गया है.

Particulars	Pension Plan		Gratuity	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Expenses as recognised in profit and loss account	1851.38	885.60	49.00	5.00
Liabiliy on account of acquisition of eSBS	571.36	—	121.66	—
Assets on account of acquisition of eSBS	172.91	—	90.21	—
Employers Contribution	356.44	884.14	49.00	5.00
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	5618.59	3725.20	31.45	—

During the next financial year, the Bank expects to pay Rs. 735 crores and Rs. 45 crores in respect of defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan respectively.

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2009 are as follows:

Category of Assets	Gratuity Fund % of Plan Assets	Pension Fund % of Plan Assets
Central Govt. Securities	34.41	
State Govt. Securities	23.28	
Public Sector Bonds	36.60	
FDR / TDR with Bank	1.71	
Bank Deposits	1.57	100 *
Others	2.43	
Total	**100**	**100**

* Held with the Bank

Principal actuarial assumptions:

Particulars	Pension Plans		Gratuity Plans	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Discount Rate	8.00%	8.00%	7.85%	8.00%
Expected Rate of return on Plan Asset	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
Salary Escalation	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

ii. Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) issued by the Institute of the Chartered Accountants of India, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan since the Bank has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of Rs.337.53 crores (Previous Year Rs. 344.60 crores) is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the Bank included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

iii. Other Long term Employee Benefits

Amount of Rs. 49.05 crores (Previous Year expenditure Rs. 133.40 crores) net of payments is written back towards Long term Employee Benefits and is included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.

वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश (नकदीकरण)	-33.58	88.00
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / उपयोग)	-0.81	25.12
3	अस्वस्थता अवकाश	-17.06	18.40
4	रजत जंयती अवार्ड	-6.35	1.22
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निर्धारण व्यय	2.55	3.73
6	आकस्मिक अवकाश	5.78	-2.02
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	0.42	-1.05
	योग	**-49.05**	**133.40**

घ) **खंड सूचना**

1. **खंड अभिनिर्धारण**

क) **प्राथमिक (व्यवसाय खंड)**

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड है :-

- कोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् व्यवस्था नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उसमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल-खंडों को निम्नवत पुनर्समूहित किया गया है :

क) **कोष -** कोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेरीवेटिव्स संविदाएं शामिल हैं. कोष खंड की आय मूलत: व्यापार-परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो का ब्याज-आय पर आधारित है.

ख) **कारपोरेट / थोक बैंकिंग -** कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - कोष परिचालन भी शामिल हैं.

ग) **खुदरा बैंकिंग -** खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलाप में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

घ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय -** जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

ख) **गौण (भौगोलिक खंड)**

i) देशीय परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ / कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

ग) **अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. कोषीय एवं कारपोरेट / थोक बैंकिंग एवं कोष खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करते हैं. बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई सृजित की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमाराशियों या उधारराशियों के रूप में उद्भूत होती है और आस्ति सृजन करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

घ) **व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा कोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता, अत: इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

Sr. No.	Long Term Employees' Benefits	Current Year	Prevous Year
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	-33.58	88.00
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	-0.81	25.12
3	Sick Leave	-17.06	18.40
4	Silver Jubilee Award	-6.35	1.22
5	Resettlement Expenses on Superannuation	2.55	3.73
6	Casual Leave	5.78	-2.02
7	Retirement Award	0.42	-1.05
	Total	**-49.05**	**133.40**

d) **Segment Reporting:**

1. **Segment identification**

A) **Primary (Business Segment)**

The following are the primary segments of the Bank :

— Treasury
— Corporate / Wholesale Banking
— Retail Banking
— Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal, organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the data on the primary segments have been computed as under:

a) **Treasury -** The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) **Corporate / Wholesale Banking -** The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices.

c) **Retail Banking -** The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATM's

d) **Other Banking business –** Segments not classified under (a) to (c) above are classified under this primary segment.

B) **Secondary (Geographical Segment)**

i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India

ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and offshore Banking units having operations in India

C) **Pricing of Inter-segmental transfers**

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

D) **Allocation of Expenses, Assets and liabilities**

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate / Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ratio of directly attributable expenses.

The Bank has certain common assets and liabilities which cannot be attributed to any segment and the same are treated as unallocated.

2) खंड सूचना / Segment Information

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

Part A : Primary (Business segments)

व्यवसाय खंड Business Segments	कोष Treasury	कारपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	निरसन Elimination	योग Total
आय Revenue #	19838.88	24241.41	32398.93			76479.22
परिणाम Result #	3744.64	5071.11	7222.86			16038.61
अनाबंटित व्यय Unallocated Income / (Expenses) - net #						(1857.97)
परिचालन लाभ Operating Profit #						14180.64
कर Tax #						(5059.41)
असाधारण लाभ Extraordinary Profit #						—
निवल लाभ Net Profit #						9121.23
अन्य सूचना : Other Information :						
खंड आस्तियाँ Segment Assets *	319326.13	262838.92	657266.91		280838.14	958593.82
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets *						5838.26
कुल आस्तियाँ Total Assets *						964432.08
खंड देयताएँ Segment Liabilities *	190703.86	254287.95	707596.46		280838.14	871750.13
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities *						34734.25
कुल देयताएँ Total Liabilities *						906484.38

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

Part B : Secondary (Geographic Segments)

	देशी Domestic		विदेशी Foreign		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आय Revenue #	71563.34	51493.43	4915.88	6151.81	76479.22	57645.24
आस्तियाँ Assets *	856147.58	632865.94	108284.50	88660.37	964432.08	721526.31

* 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार
As at 31st March 2009

\# 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए
For the year ended 31st March 2009

ङ) संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

1 संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

i. देशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (13 अगस्त 2008 तक, देखें नोट 18.11)
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
8. एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.

ii. विदेशीय बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया).
4. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को (##)
5. पीटी बैंक इंडो मोनेक्स

iii. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा. लि.
2. एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
3. एसबीआइ डीएफएचआइ लिमिटेड
4. एसबीआइ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
5. एसबीआइ कैप सिक्युरिटीज लि.
6. एसबीआइ कैप्स वैंचर्स लि.
7. एसबीआइ कैप ट्रस्टीज कं. लि.
8. एसबीआइ कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि. (##)
9. एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (##)
10. एसबीआइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (##)
11. एसबीआइ पेंशन फंड प्राइवेट लि.
12. एसबीआइ कस्टोडिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (##)
13. ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि.
14. एसबीआइ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

iv. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआइ कैप (यूके) लि.
2. एसबीआइ फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि. (##)

ये कंपनियाँ संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2 अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3 कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
4 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5 डेक्कन ग्रामीण बैंक
6 इलाकाई देहाती बैंक
7 मेघालय रूरल बैंक
8 कृष्णा ग्रामीण बैंक
9 लंगपी देहांगी रूरल बैंक
10 मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11 मालवा ग्रामीण बैंक
12 मारवाड़ गंगानगर बीकानेर बैंक
13 मिजोरम रूरल बैंक
14 नागालैंड रूरल बैंक
15 पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16 पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
19 उत्कल ग्राम्य बैंक
20 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21 वनांचल ग्रामीण बैंक
22 विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. नेपाल एसबीआइ बैंक लि.

e) **Related Party Disclosures**

1. **Related Parties**

A. **SUBSIDIARIES**

i. **DOMESTIC BANKING SUBSIDIARIES**

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra (upto13th August 2008, refer note 18.11)
7. State Bank of Travancore
8. SBI Commercial and International Bank Ltd.

ii. **FOREIGN BANKING SUBSIDIARIES**

1. SBI (Mauritius) Ltd.
2. State Bank of India (Canada)
3. State Bank of India (California)
4. Commercial Bank of India LLC, Moscow (##)
5. PT Bank Indo Monex

iii. **DOMESTIC NON-BANKING SUBSIDIARIES**

1. SBI Factors & Commercial Services Pvt. Ltd.
2. SBI Capital Markets Limited
3. SBI DFHI Limited
4. SBI Mutual Funds Trustee Company Pvt. Ltd
5. SBI CAP Securities Ltd.
6. SBI CAPS Ventures Ltd.
7. SBI CAP Trustees Co. Ltd.
8. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.(##)
9. SBI Funds Management Pvt. Ltd. (##)
10. SBI Life Insurance Company Ltd. (##)
11. SBI Pension Fund Private Limited
12. SBI Custodial Services Private Limited (##)
13. Global Trade Finance Ltd.
14. SBI General Insurance Company Ltd

iv. **FOREIGN NON-BANKING SUBSIDIARIES**

1. SBICAP (UK) Ltd.
2. SBI Funds Management (International) Private Ltd.(##)

These entities are jointly controlled.

B. **JOINTLY CONTROLLED ENTITIES**

1. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd
2. C-Edge Technologies Ltd.

C. **ASSOCIATES**

i. **Regional Rural Banks**

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhattisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangi Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii. **Others**

1. SBI Home Finance Limited
2. Clearing Corporation of India Ltd.
3. Nepal SBI Bank Ltd.

4. बैंक ऑफ भूटान
5. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
6. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेज लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष
2. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक
3. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक 5 दिसम्बर 2008 से

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ''सरकार - नियंत्रित उद्यम'' रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है. अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

1. सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. बैंक ऑफ भूटान
4. नेपाल एसबीआइ बैंक लि.
5. एसबीआइ होम फाइनेंस लि.
6. एस एस वेंचर्स सर्विसेस लि.
7. श्री ओ. पी. भट्ट, अध्यक्ष
8. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक
9. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक 5 दिसम्बर 2008 से

4. Bank of Bhutan
5. UTI Asset Management Company Pvt. Ltd.
6. S S Ventures Services Ltd.

D. Key Management Personnel of the Bank

1. Shri O. P. Bhatt, Chairman
2. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director
3. Shri R.Sridharan, Managing Director from 5th Decemeber 2008

2. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties which are "State-controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-customer relationship are not required to be disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. Other particulars are as under:

1. C-Edge Technologies Ltd.
2. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.
3. Bank of Bhutan
4. Nepal SBI Bank Ltd.
5. SBI Home Finance Ltd.
6. S S Ventures Services Ltd
7. Shri O. P. Bhatt, Chairman
8. Shri S. K. Bhattacharyya, Managing Director
9. Shri R.Sridharan, Managing Director from 5th Decemeber 2008

3. लेनदेन और शेष राशियाँ

3. Transactions and Balances :

विवरण Particulars	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	योग Total
जमा-राशियाँ / Deposits #	91.07 (62.56)	0.69 (0.00)	91.76 (62.56)
अन्य देयताएँ Other Liabilities #	0.03 (0.01)	0.26 (0.00)	0.29 (0.01)
विनिधान / Investments #	19.75 (35.45)	0 (0.00)	19.75 (35.45)
अग्रिम # / Advances #	0.00 0.00	0.000 0.00	0.00 0.00
प्राप्त ब्याज * / Interest received*	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
संदत्त ब्याज / Interest paid*	2.70 (3.16)	0.00 (0.00)	2.70 (3.16)
लाभांश के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividend*	1.89 (2.94)	0.00 (0.00)	1.89 (2.94)
अन्य आय Other Income*	0.01 (0.01)	0.00 (0.00)	0.01 (0.01)
अन्य व्यय / Other expenditure*	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रबंधन संविदाएँ Management contracts *	0.00 (0.00)	0.38 (0.54)	0.38 (0.54)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)
31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार
* 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

(Figures in brackets are for Previous Year)
As at 31st March 2009
* For the year ended 31st March 2009

च) पट्टे :

i) 1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

विवरण	31मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
पट्टों में किए गए सकल विनिधान	37.09	43.29
प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	6.48	8.91
1 से 5 वर्ष तक	—	9.67
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
योग	6.48	18.58
अर्जित न की गई वित्तीय आय का वर्तमान मूल्य	0.28	3.76

ii) **परिचालन पट्टा**

क. परिचालन पट्टों में कार्यालय परिसर/स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं.

i. **न्यूनतम पट्टा किराया-देय *** (रु. करोड़ में)

क. 1 वर्ष अर्थात् 2009-10 के पश्चात् देय नहीं	30.38
ख. 1 वर्ष के पश्चात् देय और 5 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2013-14 के पश्चात् देय नहीं	100.60
ग. 5 वर्षों अर्थात् 2013-14 के पश्चात् देय	23.38

* केवल निरस्त न होने वाले पट्टे के संबंध में

ii. वर्ष के दौरान पट्टा शुल्क की राशि जो खर्च खाते के नामे की गई. 385.13

iii. इन पट्टा करारों में बैंक को निरस्त न होने वाली अवधि की समाप्ति पर पट्टा अवधि के नवीकरण के विकल्प का प्रावधान किया गया है. इन पट्टा करारों में कोई अपवादात्मक/प्रतिबंधात्मक प्रसंविदाएं नहीं हैं.

ख. बैंक द्वारा 31 मार्च 2009 को निरस्त न होने वाले परिचालन पट्टों पर कोई आस्तियाँ नहीं दी गई हैं. आकस्मिक किरायों को लाभ और हानि खाते में शामिल नहीं किया गया है. रद्द किए जाने वाले पट्टों का मूल्य नगण्य है.

छ) प्रति शेयर उपार्जन :

बैंक ने लेखा मानक 20, 'प्रति शेयर उपार्जन' के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की सूचना दी है. वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर 'मूल आय' की गणना की गई है. वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं.

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की सं.	63,44,13,120	53,14,45,447
जोंड़े : ईएसपीसी योजना के कारण जारी किए जाने वाले संभावित इक्विटी शेयरों की संख्या	—	5,09,911
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	63,44,13,120	53,19,55,358
निवल लाभ	9,121.23	6,729.12
प्रति शेयर मूल आय (रु.)	143.77	126.62
प्रति शेयर कम की गई आय (रु.)	143.77	126.50
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु.)	10.00	10.00

ज) आय पर कर का लेखांकन

i) वर्ष के दौरान , आस्थगित कर समायोजन के द्वारा लाभ और हानि खाते में रु. 1055.18 करोड़ (पिछले वर्ष रु 219.43 करोड़) जमा किया गया.

ii) बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्ति रु. 1026.89 करोड़ (पिछले वर्ष - आस्थगित कर देयता रु 42.05 करोड़ थी), इसे क्रमश: अन्य आस्तियाँ - अन्य और अन्य देयताएँ - अन्य में जोड़ दिया गया है. प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	676.06	195.44
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	689.21	181.06
एक्जिट विकल्प के लिए प्रदत्त अनुग्रह राशि	98.49	145.44
अन्य	174.00	118.88
योग	**1637.76**	**640.82**

f) Lease:

i) Assets given on Financial Lease on or after 1st April 2001: The details of finance leases are given below:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Gross investment in the leases	37.09	43.29
Present value of minimum lease payments receivable		
Less than 1 year	6.48	8.91
1 to 5 years	—	9.67
5 years and above	—	—
Total	6.48	18.58
Present value of unearned finance income	0.28	3.76

ii) **Operating Lease**

A. Operating lease comprise of Office Premises/Staff Quarters

i. **Minimum Lease Rent Payable*** (Rs. in Crores)

a. Payable not later than 1 year i.e. 2009-10	30.38
b. Payable later than 1 year and not later than 5 years i.e. 2010-11 to 2013-14	100.60
c. Payable later than 5 years i.e. after 2013-14	23.38

* in respect of Non Cancellable lease only

ii. Amount of lease charges debited to charges account during the year 385.13

iii. The lease agreements provide for an option to the the Bank to renew the lease period at the end of non- cancellable period. There are no exceptional/restrictive covenants in the lease agreements.

B. The Bank has no assets given on non cancellable Operating Leases as on 31st March 2009. No contingent rents have been recognised in the Profit & Loss Account. The cancellable Leases are of insignificant value.

g) Earnings per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average no of equity shares used in computing basic earning per share	63,44,13,120	53,14,45,447
Add: Potential number of equity shares that could arise on account of ESPS scheme	—	5,09,911
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	63,44,13,120	53,19,55,358
Net profit	9,121.23	6,729.12
Basic earnings per share (Rs.)	143.77	126.62
Diluted earnings per share (Rs.)	143.77	126.50
Nominal value per share (Rs.)	10.00	10.00

h) Accounting for Taxes on Income

i. During the year, Rs. 1055.10 crores [Previous Year Rs. 219.43 crores] has been credited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.

ii. The Bank has outstanding net deferred tax asset of Rs. 1026.89 crores (Previous Year - Rs. 42.05 crores), which has been included in other assets-others. The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Deferred Tax Assets		
Provision for wage revision	676.06	195.44
Provision for long term employees' benefits	689.21	181.06
Ex-gratia paid under Exit option	98.49	145.44
Others	174.00	118.88
Total	**1637.76**	**640.82**

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	115.10	103.00
प्रतिभूतियों पर ब्याज	495.77	495.77
योग	**610.87**	**598.77**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ)	**1026.89**	**42.05**

झ. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के विनिधानों में रु.15.70 करोड़ (पिछले वर्ष रु.15.70 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि	मुख्यालय	धारिता %
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	10.80 (10.80)	भारत	40%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और वायदों की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

विवरण	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	69.71	63.21
जमाराशियाँ	—	—
उधार-राशियाँ	0.26	0.35
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	28.65	27.05
योग	**98.62**	**90.61**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमाराशियाँ	0.01	0.01
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	21.44	2.04
विनिधान	3.52	2.62
अग्रिम	—	—
अचल आस्तियाँ	10.57	15.03
अन्य आस्तियाँ	63.08	70.91
योग	**98.62**	**90.61**
पूंजी वायदे	—	—
अन्य आकस्मिक देयताएँ	—	—
आय		
अर्जित ब्याज	0	5.69
अन्य आय	51.47	61.63
योग	**51.47**	**67.32**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	—	—
परिचालन व्यय	40.74	49.81
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	4.23	6.43
योग	**44.97**	**56.24**
लाभ	**6.50**	**11.08**

ञ) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - 'आस्तियों की अपसामान्यता' लागू होती हो.

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	115.10	103.00
Interest on securities	495.77	495.77
Total	**610.87**	**598.77**
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	**1026.89**	**42.05**

i) Investments in jointly controlled entities

Investments include Rs. 15.70 crores (Previous Year Rs.15.70 crores) representing Bank's interest in the following jointly controlled entities

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	10.80 (10.80)	India	40%
2	C - Edge Technologies Ltd.	4.90 (4.90)	India	49%

(Figures in brackets relate to previous year)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

Particulars	As at 31-Mar-2009	As at 31-Mar-2008
Liabilities		
Capital & Reserves	69.71	63.21
Deposits	—	—
Borrowings	0.26	0.35
Other Liabilities & Provisions	28.65	27.05
Total	**98.62**	**90.61**
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.01	0.01
Balances with Banks and money at call and short notice	21.44	2.04
Investments	3.52	2.62
Advances	—	—
Fixed Assets	10.57	15.03
Other Assets	63.08	70.91
Total	**98.62**	**90.61**
Capital Commitments	—	—
Other Contingent Liabilities	—	—
Income		
Interest earned	0	5.69
Other income	51.47	61.63
Total	**51.47**	**67.32**
Expenditure		
Interest expended	—	—
Operating expenses	40.74	49.81
Provisions & contingencies	4.23	6.43
Total	**44.97**	**56.24**
Profit	**6.50**	**11.08**

j) Impairment of Assets

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर भुगतान हेतु प्रावधान		
चालू कर	5971.52	3823.50
अनुषंगी लाभ कर	142.00	105.00
आस्थगित कर	-1055.10	-219.43
अन्य कर	1.00	0.70
विनिधानों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	707.16	-88.68
अलाभकारी आस्तियों पर प्रावधान	2474.96	2000.94
कृषि ऋण छूट एवं राहत योजना के लिए प्रावधान	140.00	—
मानक आस्तियों पर प्रावधान	234.82	566.97
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	177.64	189.43
योग	**8794.00**	**6378.43**

ख) अस्थायी प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान वृद्धि	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	निरंक	निरंक
इति शेष	निरंक	निरंक

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं.	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है. बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा.
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है. वायदा विनिमय संविदाओं में विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने का वायदा किया जाता है. मुद्रा विनिमयों का वायदा पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए है. ब्याज दर विनिमय का वायदा अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए है. आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं.
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है. प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है. गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा.
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है.	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है. बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेयरों का अभिदान करने का वायदा किया है.

k) **Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets**

a) Break-up of Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Taxation		
Current Tax	5971.52	3823.50
Fringe Benefit Tax	142.00	105.00
Deferred Tax	-1055.10	-219.43
Other Tax	1.00	0.70
Provision for Depreciation on Investments	707.16	-88.68
Provision on Non-Performing Assets	2474.96	2000.94
Provision for Agricultural Debt Waiver & Relief Scheme	140.00	—
Provision on Standard Assets	234.82	566.97
Provision for Other Assets	177.64	189.43
Total	**8794.00**	**6378.43**

b) **Floating Provisions**

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	Nil	Nil
Addition during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

c) **Description of Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Sr. No.	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-Bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Bank is contingently liable.	The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Bank and not provided for. Further, the Bank has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.

घ) उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौतों, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्यता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित है.

ङ) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	77.44	71.90
वर्ष के दौरान वृद्धि	26.48	19.90
वर्ष के दौरान कमी	18.38	14.36
इति शेष	85.54	77.44

18.10 कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना 2008

कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना 2008 के अनुसार, केंद्र सरकार से ऋण छूट के कारण प्राप्य राशि रु.5506 करोड़ और ऋण सहायता के कारण प्राप्य राशि रु.322 करोड़ है. योजना के अनुसार जिसे क्रमश: अग्रिम और अन्य आस्तियों के अंग के रूप में माना गया है. भारत सरकार ने ऋण छूट के लिए इससे प्राप्य राशि पर प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि से ब्याज प्रदान करने में सहमति दी है और तदनुसार वर्तमान मूल्य के अनुसार ब्याज की हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अतिरिक्त रु.2168 करोड़ की पहली किश्त 24 दिसम्बर 2008 को प्राप्त हुई है. ऋण सहायता के मामले में, बैंक ने योग्य कृषकों से प्राप्य राशि पर ब्याज की हानि के वर्तमान मूल्य के लिए रु.140 करोड़ का प्रावधान किया है, जो सामान्य आरक्षिति में सरकार से दावे की प्राप्ति के पश्चात् लेखे के पूर्ण निर्धारण के समय प्रत्यावर्तन-योग्य है. ऋण सहायता के ये आंकड़े कृषकों से प्राप्य राशि के भुगतान पर निर्भर करते हैं.

18.11 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अभिग्रहण

भारत सरकार ने बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एसबीएस), बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग अनुषंगी, को 14 अगस्त 2008 से अभिगृहीत किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है. कथित अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एसबीएस) की सम्पूर्ण हिस्सेदारी को बैंक द्वारा अधिगृहीत माना गया है. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (एसबीएस) के अभिग्रहण को लेखा मानक 14 के अनुसार हित समेकन पद्धति का प्रयोग करके लेखे में लिया गया है. इस अभिग्रहण से उद्भूत रु. 0.65 करोड़ की राशि की गुडविल को इस अवधि के दौरान आय के रूप में शामिल किया गया है.

18.12 अंतर कार्यालय खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का दिसम्बर 2008 तक समाधान किया गया है. इसके अतिरिक्त, समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है और चालू वर्ष के लाभ और हानि की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है.

18.13 विचाराधीन वेतन करार

सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा ऑल इंडिया यूनियन्स ऑफ वर्कमैन के साथ किया गया आठवाँ द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2007 को समाप्त हो गया. नए समझौते के विचाराधीन होने को देखते हुए वर्ष के दौरान लेखे में रु. 1414 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 575 करोड़) का प्रावधान किया गया है - जो दिनांक 1 नवम्बर 2007 से प्रभावी होने वाले वेतन - संशोधन के कारण बैंक की अनुमानित देयता से संबंधित है. वेतन संशोधन के संबंध में कुल प्रावधान की राशि 31 मार्च 2009 को रु. 2010.55 करोड़ (इसमें पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से अंतरित रु. 21.55 करोड़ सम्मिलित) है.

18.14 प्रस्तावित विलय

दिनांक 25 जून 2008 को हुई केंद्रीय बोर्ड की बैठक में समामेलन योजना के अनुमोदन के पश्चात्, बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी - 'एसबीआइ कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.' का बैंक में विलय होना है. प्रासंगिक योजना का अनुमोदन, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा किया जाना शेष है. इन अनुमोदनों के विचाराधीन होने के कारण, उक्त योजना को इन लेखों में कोई स्थान नहीं दिया गया है.

18.15 बैंक में पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय होने के कारण वर्तमान वर्ष के आंकड़ों में पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की शाखाओं के 14 अगस्त 2008 से आरंभ अवधि के कार्य परिणाम शामिल हैं. तदनुरूप, पिछली अवधि के आंकड़ों की पूर्णतया तुलना नहीं की जा सकती है. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप मिलाने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक, पुनर्समूहित एवं पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों / लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

d) The Contingent Liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against Contingent Liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	77.44	71.90
Additions during the year	26.48	19.90
Reductions during the year	18.38	14.36
Closing balance	85.54	77.44

18.10 Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

As per the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008, the amount receivable from the Central Government on account of debt waiver is Rs. 5506 crores and on account of debt relief is Rs. 322 crores, which is treated as part of advances and other assets respectively in accordance with the scheme. For the Debt Waiver, the Government of India has agreed to provide interest on the amount receivable from it from the date of payment of the first instalment and accordingly no provision for loss of interest on present value terms has been made. Further, the first instalment of Rs. 2168 crores has been received on 24 December 2008. In respect of Debt Relief, the Bank has made provision of Rs. 140 crores towards present value of loss of interest on amount receivable from eligible farmers, which is reversible to General Reserve upon complete settling of the account after receipt of claim from the Government. The figures of debt relief are subject to payment of dues by the farmers.

18.11 Acquisition of State Bank of Saurashtra

The Govt. of India has notified the acquisition by the Bank of the State Bank of Saurashtra (SBS), a wholly owned subsidiary of the Bank, with effect from 14th August 2008. Pursuant to the said notification, the entire undertaking of the erstwhile SBS stands acquired by the Bank. The acquisition of SBS has been accounted using pooling of interest method as per Accounting Standard 14. The goodwill arising on acquisition amounting to Rs. 0.65 crores has been charged off to the revenue during the period.

18.12 Inter Office Account

Inter Office Accounts between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishments have been reconciled upto December 2008. Further, reconciliation is being done on an ongoing basis and no material effect is expected on the profit and loss account of the current year.

18.13 Pending Wage Agreement

The Eighth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2007. Pending the execution of a new agreement a provision of Rs.1414 crores (Previous Year Rs. 575 crores) has been made during the year in the accounts for the Bank's estimated liability in respect of wage revision to be effective from 1st November 2007. The total provision held on account of wage revision as on 31st March 2009 is Rs. 2010.55 crores (including Rs. 21.55 crores transferred from eSBS).

18.14 Proposed Merger

Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Central Board at its meeting held on 25th June 2008, SBI Commercial and International Bank Ltd, a wholly owned subsidiary of the Bank is to be merged with the Bank. The relevant scheme is yet to be approved by the Government of India, RBI and other authorities. Pending such approvals no effect has been given to the said scheme in the accounts.

18.15 The figures of the current period include the working results of the branches of erstwhile State Bank of Saurashtra (SBS) for the period from 14th August 2008 consequent to merger of e-SBS with the Bank. Accordingly, the figures of the previous period are strictly not comparable. Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to current period classification. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA
31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2009

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

		31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009		31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		294,797,294		(8,568,654)
ख विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		(16,519,304)		(27,980,117)
ग वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		50,973,840		193,711,165
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल परिवर्तन NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		329,251,830		157,162,394
घ वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		674,663,350		519,686,900
ङ पूर्ववर्ती एसबीएस के अभिग्रहण से प्राप्त नकदी E. CASH RECEIVED FROM ACQUISTION OF e-SBS		19,541,191		—
च विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव F. EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		20,581,615		(2,185,944)
छ वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य G. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		1,044,037,986		674,663,350

क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	141,806,429		104,389,003	
समायोजन / Adjustment for :				
मूल्यह्रास शुल्क / Depreciation charges	7,631,412		6,799,791	
पट्टाकृत आस्तियों सहित अचल आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of fixed assets including leased assets	(29,542)		(110,409)	
विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments	25,672,902		(16,498,391)	
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revalution of investments	(5,650)		7,035,007	
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for NPAs	24,749,573		20,009,363	
मानक आस्तियों पर प्रावधान जिसमें कृषि राहत योजना के लिए प्रावधान शामिल हैं / Provision on Standard Assets includes provision for Agl. Relief Scheme	3,748,162		5,669,669	
विनिधानों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Investments	7,071,724		(886,815)	
बट्टे खाते डाली गई पूर्ववर्ती एसबीएस की गुडविल / Goodwill eSBS Written Off	6,562		—	
अन्य आस्तियों पर प्रावधान (अन्य प्रावधान सहित) Provision on other assets (including Other Provision)	502,140		2,244,563	
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर प्रावधान / Provision on Subsidiary/JVs/ RRBs	–		(350,260)	

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009		31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	
अन्य प्रावधान Other Provisions	1,274,219		—	
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश (विनिधान कार्यकलाप) Dividends from Subsidiaires (Investing Activities)	(4,096,028)		(1,974,055)	
एसबीआइ बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप) Interest paid on SBI Bonds (Financing Activity)	19,004,265		17,114,085	
	227,336,168		143,441,551	
घटाएँ : प्रत्यक्ष कर / Less: Direct Taxes	(72,794,644)		(42,355,383)	
उप योग / SUB TOTAL		154,541,524		101,086,168
समायोजन / Adjustment for				
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/(Decrease) in Deposits		1,889,477,646		1,018,828,515
उधार-राशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings		(12,705,423)		120,240,761
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Investments		(828,810,896)		(374,636,388)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Advances		(1,157,822,655)		(814,326,390)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions		156,447,980		130,153,951
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Other Assets		93,669,118		(189,915,271)
परिचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी **NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES**		294,797,294		(8,568,654)
ख विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
अनुषंगियों / संयुक्त-उद्यमों में विनिधान (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Sub/ JVs	(9,236,600)		(17,718,648)	
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	4,096,028		1,974,055	
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(11,378,732)		(12,235,524)	
विनिधान कार्यकलापों से निवल नकदी **NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES**		(16,519,304)		(27,980,117)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009		31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
शेयर पूँजी / Share Capital	34,098		1,051,715	
शेयर प्रीमियम / Share Premium	5,589,577		165,883,942	
गौण ऋणों का निर्गम / Issue of Subordinated Debts	—		60,235,000	
गौण बांड निर्गम Issue of Subordinated Bonds	80,000,000		9,027,000	
गौण बांड मोचन Redemption of Subordinated Bonds	(324,400)		(16,752,000)	
बांडों पर संदत्त ब्याज / Interest Paid on Bonds	(19,004,265)		(17,114,085)	
संदत्त लाभांश कर सहित Dividends paid including tax thereon	(15,321,170)		(8,620,407)	
वित्तपोषण कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी **NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES**		50,973,840		193,711,165
घ. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य **D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**				
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	32,203,111		25,301,193	
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	483,143,047		265,463,057	
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	159,317,192		228,922,650	
योग / Total		674,663,350		519,686,900
ङ. वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के अभिग्रहण के कारण प्राप्त **E. CASH AND CASH EQUIVALENTS RECEIVED ON ACCOUNT OF ACQUISITION OF STATE BANK OF SAURASHTRA**				
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	1,007,765			
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	17,565,488			
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	967,938			
योग / Total		19,541,191		

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2009 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2009		31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008	
च विनिमय उतार-चढ़ाव - नकदी प्रवाह				
F. EXCHANGE FLUCTUATION CASH FLOW				
गौण बांड पुनर्मूल्यन Revaluation of Sub ordinated Bonds	6,625,000		(1,291,723)	
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिति Foreign Currency Translation Reserve	13,956,615		(894,221)	
योग / Total		20,581,615		(2,185,944)
छ वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य				
G. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	42,955,158		32,203,111	
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	512,506,569		483,143,047	
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	488,576,259		159,317,192	
योग / Total		1,044,037,986		674,663,350

हस्ताक्षरकर्ताः

डॉ. अशोक झुनझुनवाला
दिलीप सी. चौकसी
एस. वैंकटाचलम
डी. सुन्दरम
डॉ. देवानन्द बलोधी
प्रो. मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
} निदेशक

आर. श्रीधरन
प्रबंध निदेशक और समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं अनुषंगियाँ)

एस. के. भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

SIGNED BY:

Dr. Ashok Jhunjhunwala
Dileep C. Choksi
S. Venkatachalam
D. Sundaram
Dr. Deva Nand Balodhi
Prof. Md. Salahuddin Ansari
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha
Smt. Shyamala Gopinath
} Directors

R. Sridharan
Managing Director & Group Executive (A & S)

S.K. Bhattacharyya
Managing Director and Chief Credit & Risk Officer

O. P. Bhatt
Chairman

कोलकाता
9 मई, 2009

Kolkata
9th May, 2009

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) के अंतर्गत नियुक्त हम, भारतीय स्टेट बैंक के अद्योहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक बैंक के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण के बारे में केंद्र सरकार को एतद्द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं.

2. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2009 के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है. उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, चौदह स्थानीय प्रधान कार्यालय, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और 42 (बयालीस) शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 9255 (नौ हजार दो सौ पचपन) भारतीय शाखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;

   iii) विदेश स्थित 40 (चालीस) शाखाओं की लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की; तथा

   iv) 2504 (दो हजार पाँच सौ चार) अन्य भारतीय शाखाओं के, जिनकी अलेखापरीक्षित विवरणियाँ शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित की गई हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 0.54%, जमाराशियों में 2.11%, ब्याज आय में 0.44% तथा ब्याज व्यय में 1.45% है.

   ये वित्तीय विवरण बैंक-प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी अपने लेखापरीक्षा-कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत प्रस्तुत करना है.

3. हमने अपना लेखापरीक्षा-कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषयवस्तु सम्बन्धी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं. लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है. लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है. हमें विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है.

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India,

1. We, the undersigned Auditors of State Bank of India, appointed under Section 41(1) of the State Bank of India Act, 1955, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank.

2. We have audited the attached Balance Sheet of State Bank of India as at 31st March 2009, the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto. Incorporated in the said financial statements are the accounts of:

   i) The Central Office, fourteen Local Head Offices, Corporate Accounts Group (Central), Mid-Corporate Group (Central), Stressed Assets Management Group (Central) and forty two branches audited by us;

   ii) 9255 Indian Branches audited by other auditors;

   iii) 40 Foreign Branches audited by the local auditors; and

   iv) 2504 other Indian Branches, the unaudited returns of which are certified by the Branch Managers. These unaudited branches account for 0.54% of advances, 2.11% of deposits, 0.44% of interest income and 1.45% of interest expenses.

   These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

3. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: 'क' और 'ख' फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं.

5. उपर्युक्त अनुच्छेद 2 के साथ पठित, हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है.

   (ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं.

   (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं.

6. हमारे अभिमत के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

7. हमारे अभिमत और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए और बैंक की बहियों में दर्शाए गए निम्न स्पष्टीकरणों के अनुसार :

   (i) प्रमुख लेखा नीतियों के विवरण एवं लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2009 को बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;

   (ii) प्रमुख लेखा नीतियों एवं लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा

   (iii) नकदी प्रवाह विवरण, संदर्भाधीन तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है, तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्वान्तों के अनुरूप है.

4. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and these give information as required to be given by virtue of the provisions of the State Bank of India Act, 1955, and Regulations there under.

5. We report, read with paragraph 2 above:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

6. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow statement comply with the applicable accounting standards.

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank;

   (i) the Balance Sheet, read with the Principal Accounting Policies and the Notes to Accounts, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2009;

   (ii) the Profit and Loss Account, read with the Principal Accounting Policies and the Notes to Accounts, shows a true balance of Profit for the year ended on that date; and

   (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date, and are in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India.

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते आर. जी. एन. प्राइस एंड कं.
For R. G. N. Price & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पी. एम. वीरमणि
P. M. Veeramani
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 023933

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
For Jain Kapila Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डी. के. कपिला
D. K. Kapila
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 016905

कृते दत्ता सिंगला एंड कं.
For Datta Singla & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

राजीव दत्ता
Rajiv Datta
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 11546

कृते ए. के. साबत एंड कं.
For A. K. Sabat & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डी. विजय कुमार
D. Vijaya kumar
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 051961

कृते ए. आर. विश्वनाथन एंड कं.
For A. R. Viswanathan & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

ए. वी. वेंकटाचलम
A. V. Venkatachalam
सनदी लेखाकार Partner: स.सं. M. No. 19546

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
For S. K. Mittal & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस. के. मित्तल
S. K. Mittal
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 08506

कृते जी.एम. कपाड़िया एंड कं.
For G. M. Kapadia & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

अतुल शाह
Atul Shah
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 039569

कृते वी. के. जिंदल एंड कं.
For V. K. Jindal & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी. के. जिंदल
V. K. Jindal
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 070666

कृते गुप्ता एंड शाह
For Gupta & Shah
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

शरद शाह
Sharad Shah
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 070601

कृते चौकशी एंड चौकशी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

कानू चौकशी
Kanu Chokshi
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 17085

कृते वर्धमान एंड कं.
For Vardhaman & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी. भास्करन
V. Baskaran
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 012202

कृते डी. पी. सेन एंड कं.
For D. P. Sen & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एम.एल. सरकार
M. L. Sarkar
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 012961

कृते दत्त सरकार एंड कं.
For Dutta Sarkar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

बी. के. दत्त
B. K. Dutta
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 16175

कृते गुहा नंदी एंड कं.
For Guha Nandi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डॉ. बी. एस. कुंडु
Dr. B. S. Kundu
भागीदार Partner: स.सं. M. No. 051221

कोलकाता,
9 मई, 2009

Kolkata
9th May, 2009